SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 3

(निष्पादन लेखापरीक्षा-सिविल)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण
पर प्रतिवेदन

राजस्थान सरकार

2025 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय-सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	iii
कार्यकारी सारांश	-	v
अध्याय I : प्रस्तावना		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	4
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	4
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं प्रतिचयन पद्धति	1.5	5
आभार	1.6	6
अध्याय II : बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था		
आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के सक्रिय प्रावधान	2.1	7
संस्थागत ढांचा	2.2	8
अध्याय III : स्थापनों एवं श्रमिकों का पंजीकरण		
स्थापनों का पंजीकरण	3.1	11
श्रमिकों का पंजीकरण	3.2	16
अध्याय IV : उपकर का निर्धारण, संग्रहण और हस्तांतरण		
उपकर का निर्धारण और अधिरोपण	4.1	19
उपकर का संग्रहण	4.2	22
उपकर का हस्तांतरण	4.3	25
अध्याय V : सन्निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मापदण्ड और उनकी अनुपालना		
परिचय	5.1	27
स्थापनों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति बनाये जाने का अभाव	5.2	27
सुरक्षा समिति का गठन और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति	5.3	28

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
स्थापनों का निरीक्षण	5.4	28
दुर्घटनाओं की सूचना प्रदान करने का अभाव	5.5	32
अध्याय VI : वित्तीय प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन		
वित्तीय प्रबंधन	6.1	33
बीओसी श्रमिक कल्याण योजनाएं	6.2	35
आवेदकों की शिकायतों का संतोषजनक रूप से निपटान नहीं किया जाना	6.3	46
बीओसी श्रमिकों के मध्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता	6.4	47

परिशिष्ट		पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1	चयनित जिलों में जाँच की गई इकाइयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण	49
परिशिष्ट 4.1	वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण	50
परिशिष्ट 6.1	वर्ष 2017-22 के दौरान लाभार्थियों द्वारा दिए गए आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	51
परिशिष्ट 6.2	उन प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण जहां आवेदकों के आवेदनों को अपेक्षित दस्तावेजों, जो कि या तो पहले ही प्रस्तुत किए गए थे या बाद में प्रस्तुत किए गए थे, को प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया	52
परिशिष्ट 6.3	पंजीकरण के समय और योजना में आवेदन करने के समय आवश्यक दस्तावेजों को दर्शाने वाला विवरण	53
परिशिष्ट 6.4	वर्ष 2017-22 के दौरान आवेदकों और विभागीय स्तर पर लंबित लाभार्थियों के आवेदनों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	54

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल को सौंपने हेतु तैयार किया गया है ।

प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल करते हुए "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण"- राजस्थान सरकार पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम समाहित हैं ।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है ।

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा शर्तों को विनियमित करने तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण करने के उद्देश्य से भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। 18 से 60 वर्ष की आयु का व्यक्ति, जो पिछले बारह महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों तक किसी भवन अथवा अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजित रहा हो, वह बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीयन के लिए पात्र है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कल्याण निधि का प्रबंधन और सन्निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु राजस्थान सरकार के श्रम विभाग (विभाग) ने राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल) का गठन (जुलाई 2009) किया। विभाग ने राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम, 2009 (आरबीओसीडब्ल्यू नियम) भी अधिसूचित (अप्रैल 2009) किया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डलों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने नियोजकों द्वारा किए गए निर्माण कार्य की लागत पर उपकर लगाने और एकत्र करने हेतु भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) भी पारित (अगस्त 1996) किया। संग्रहित उपकर राज्य सरकार की राजस्व निधि में जमा करने के तत्पश्चात उसे 'राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण निधि' (निधि) में हस्तांतरित करने के नियम बनाये गए।

"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण" विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सम्पादित की गई, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित नियम, अधिनियम की भावना के अनुरूप हैं और क्या मौजूदा ढांचा अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि क्या स्थापनों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए प्रभावी प्रणाली मौजूद थी। उपकर के निर्धारण, संग्रहण और कोष में हस्तांतरण की दक्षता का मूल्यांकन भी लेखापरीक्षा में किया गया। निरीक्षण के माध्यम से श्रमिकों के लिए उचित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानकों की उपलब्धता का भी मूल्यांकन लेखापरीक्षा में किया गया। कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में मण्डल द्वारा निधि का प्रबंधन और उपयोग की दक्षता एवं प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राज्य सरकार ने आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल और श्रम विभाग में मानव श्रम की कमी पाई गई, जिससे स्थापनों का निरीक्षण और भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण एवं उपकर वसूली सहित अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना प्रभावित रही।

लेखापरीक्षा में प्रासंगिक कानूनी ढांचे के तहत स्थापनों और बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई। वर्ष 2017 से 2022 के मध्य, राज्य में केवल 2,464 स्थापनों का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 40.18 प्रतिशत ने निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन किया। श्रम विभाग ने कार्य निष्पादन विभागों और नियोजन प्राधिकरणों से सिविल निर्माण कार्यों की सूचियाँ प्राप्त नहीं की जिसके कारण अधिनियम के तहत पंजीकरण योग्य स्थापनों का दायरा अपूर्ण रहा।

मार्च 2022 तक राजस्थान में 30.10 लाख बीओसी श्रमिकों का पंजीकरण हुआ था। इसके अतिरिक्त, चयनित पाँच ज़िलों के 27 स्थापनों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि केवल छह प्रतिशत श्रमिक ही वास्तव में पंजीकृत थे, जो सभी पात्र श्रमिकों के पंजीकरण हेतु प्रणाली में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि श्रम विभाग ने अधिनियम के अंतर्गत पात्र स्थापनों की पहचान के लिए लक्षित सर्वेक्षणों को करवाया जाना सुनिश्चित नहीं किया। वर्ष 2019-22 के दौरान, 1,74,000 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विपरीत राज्य स्तर पर केवल 60,590 (34.82 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कार्यों के लिए निर्माण की अंतिम लागत निर्धारित करने के बाद निर्धारण अधिकारियों द्वारा चयनित पाँच जिलों के पंजीकृत स्थापनों में से केवल पाँच प्रतिशत को ही निर्धारण आदेश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, उपकर संग्रहण से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें निर्धारण आदेश की अनुपस्थिति और उपकर के निर्धारण हेतु निर्माण लागत की गणना के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यप्रणाली का अभाव शामिल था।

उपकर संग्रहण में चूक और अल्प वसूली के मामले विभाग द्वारा प्रभावी उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने में अपर्याप्त निगरानी को इंगित करते हैं। साथ ही, राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत एकत्रित उपकर ₹ 1,789 करोड़ को कल्याण निधि में हस्तांतरित करने में तीन से 22 महीनों की देरी भी पाई गई।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिनियम के तहत, उत्तरदायी होने के बावजूद किसी भी स्थापन ने भवन श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति का लिखित विवरण मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत नहीं किया। श्रम विभाग और कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (एफबीआईडी) द्वारा लक्षित संख्या में निरीक्षण नहीं किए गए। वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए 553 निरीक्षणों में से, एफबीआईडी ने 387 मामलों में कमियां पाईं। तथापि,148 (38 प्रतिशत) स्थापनों के मामलों में अनुपालना हेतु नोटिस जारी नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त, जिन 239 स्थापनों को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 212 स्थापनों (89 प्रतिशत) ने अनुपालना प्रस्तुत नहीं की। पंजीकृत स्थापनों के संयुक्त निरीक्षण में यह भी सामने आया कि निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा ने आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल द्वारा निधि के उपयोग में अंतराल को इंगित किया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान, उपलब्ध निधियों का केवल 21.16 प्रतिशत से 51.06 प्रतिशत तक ही व्यय किया गया था। उपकर के रूप में ₹ 1,788.99 करोड़ की प्राप्त

हुई राशि के विरुद्ध कल्याणकारी योजनाओं पर केवल ₹ 1,659.22 करोड़ व्यय किए गए। इसके अतिरिक्त, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए और वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि तक के वार्षिक प्रतिवेदन भी भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गए।

वर्ष 2017 से 2022 के दौरान प्राप्त 25.89 लाख आवेदनों में से, 7.49 लाख आवेदन (29 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए, 10.61 लाख आवेदन (41 प्रतिशत) अस्वीकृत किए गए और शेष 7.79 लाख आवेदन (30 प्रतिशत) निपटान के लिए लंबित थे। वास्तव में, 1.86 लाख आवेदन दो वर्ष से अधिक समय से लंबित थे। लेखापरीक्षा में योजनाओं, जैसे कि प्रसूति सहायता योजना और सिलिकोसिस प्रभावित सन्निर्माण श्रमिकों को सहायता, के मामलों में अपर्याप्त दस्तावेज़ सत्यापन के प्रकरण पाए गए, जो आवेदनों को संसाधित करते समय विभाग की उचित तत्परता की कमी को दर्शाता है।

अनुशंसाएं:

1. *राजस्थान सरकार द्वारा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल और श्रम विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरकर मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।*

2. *श्रम विभाग को सभी निर्माण कार्य निष्पादन विभागों और नियोजन प्राधिकरणों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि चल रहे और पूर्ण हो चुके कार्यों के संबंध में समय पर एवं सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र स्थापनों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।*

3. *श्रम विभाग को निर्माण लागत का निर्धारण करने के लिए व्यापक, मापनीय और सत्यापन योग्य मानदंडों को तैयार कर अंगीकरण करना चाहिए, जिससे उपकर निर्धारण में एकरूपता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके।*

4. *श्रम विभाग को उपकर संग्रहण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारण आदेशों के अनुसार उपकर का समयबद्ध और सटीक संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।*

5. *श्रम विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके तथा बीओसी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।*

6. राज्य सरकार को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत अनुपालन की निगरानी के लिए विशेष रूप से समर्पित निरीक्षकों की भर्ती करने पर विचार करना चाहिए, ताकि बीओसी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा मिल सके ।

7. बीओसी श्रमिकों को लाभों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग को आवेदन प्रक्रिया के तंत्र को सुव्यवस्थित करना चाहिए ।

8. विभिन्न स्तरों पर दस्तावेजों के सत्यापन की मौजूदा प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ जारी करने से पूर्व निर्धारित पात्रता शर्त की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके ।

अध्याय I

प्रस्तावना

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 परिचय

भारत सरकार ने सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन, कार्य की दशाओं, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को विनियमित करने के उद्देश्य से 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996' (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की स्थापना तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को नियम बनाने का प्रावधान करता है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम किसी भी कार्य स्थल[1] पर दस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापन पर लागू होता है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में यह प्रावधान है कि 18 और 60 वर्ष के आयु वर्ग का प्रत्येक भवन कर्मकार जो पिछले 12 महीनों के दौरान कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर नियोजित रहा हो, वह स्वयं को मण्डल के पास लाभार्थी के रूप में पंजीकृत कर सकता है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 1996 में 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996' (उपकर अधिनियम) लागू किया, जिसमें नियोजकों द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और उसे एकत्र करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने उपकर अधिनियम के अंतर्गत मार्च 1998 में 'भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998'(उपकर नियम) बनाए। भारत सरकार ने नियोजकों द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की अधिसूचना (सितंबर 1996) भी जारी की।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तो का नियमन) नियम, 2009 (आरबीओसीडब्ल्यू नियम), बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अधिनियमन से 12 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद बनाये (अप्रैल 2009)। राजस्थान सरकार ने कल्याण निधि का प्रबंधन करने और निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने हेतु राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल) का गठन (जुलाई 2009) किया था।

मण्डल के कार्यों में, अन्य बातों के अलावा, दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करना, 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करना, गृह निर्माण के लिए ऋण और अग्रिम की मंजूरी देना, लाभार्थियों के लिए समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान करना, बच्चों की शिक्षा के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना,

---

[1] पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन दस या अधिक कर्मकार नियोजित होने चाहिए। कारखाना अधिनियम, 1948 या खान अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले कर्मकारों को इससे बाहर रखा गया है।

प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय एवं महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रदान करना शामिल हैं ।

राजस्थान सरकार ने जुलाई 2009 में उपकर नियम, 1998 को अपनाया, जिसके तहत निर्माण की कुल लागत का एक प्रतिशत उपकर के रूप में लिया जाता है । संग्रहित उपकर को भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिकों की कल्याण निधि (निधि) में जमा किया जाता है । अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को इस निधि से लाभ प्रदान किए जाते हैं । मण्डल का मुख्य वित्तीय स्रोत नियोजकों से उपकर का संग्रहण है ।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बीओसी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए नौ योजनाएं संचालित थीं । यद्यपि, बीओसी श्रमिकों के लिए एक योजना "स्वास्थ्य बीमा योजना" जून 2017 में बंद कर दी गई थी । शेष आठ योजनाओं में शिक्षा और कौशल विकास योजना, सुलभ्य आवास योजना, जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना, शुभ शक्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना, सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना, सिलिकोसिस योजना तथा निर्माण श्रमिक टूल किट योजना शामिल है, जिन्हें मण्डल द्वारा लाभार्थियों के कल्याण के लिये क्रियान्वित किया गया था । इसके अतिरिक्त दिसंबर 2020 से पांच[2] और योजनाएं भी क्रियान्वित की गईं थी ।

मार्च 2022 तक, मण्डल के पास 30.10 लाख निर्माण श्रमिक लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत थे । अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार मण्डल के पास कल्याण निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 946.24 करोड़ था । वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक मण्डल की कुल प्राप्तियां ₹ 1,919.96 करोड़ थीं, जिसमें ₹ 1,788.99 करोड़[3] का उपकर संग्रहण और ₹ 130.97 करोड़ निवेश पर ब्याज एवं अन्य प्राप्तियां शामिल थी । कुल व्यय ₹ 2,036.93 करोड़ रहा, जिसमें से वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मण्डल द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं पर ₹ 1,659.22 करोड़ का व्यय किया गया और मार्च 2022 को ₹ 829.27 करोड़ का शेष था ।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

श्रम विभाग जिसके प्रमुख, शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार है, राज्य में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और उपकर अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है । इसके अलावा, विभाग में सात संभागीय कार्यालय हैं, जिसके प्रमुख, संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त है । जिला स्तर पर, उप-श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों को स्थापनों के पंजीकरण के लिए पंजीयन अधिकारियों के रूप में एवं श्रम उपकर के संग्रहण और निर्धारण के लिए 'उपकर संग्राहक' और 'निर्धारण अधिकारी' के रूप में पदनामित किया गया है । श्रम आयुक्त को भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए मुख्य निरीक्षक के रूप में अधिसूचित (जुलाई 2009) किया

---

[2] व्यवसाय के लिए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निर्माण श्रमिकों या उसके आश्रितों के लिए प्रोत्साहन योजना, आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश पर शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, विदेश में रोजगार के लिए वीजा प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन योजना ।

[3] वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के दौरान बीओसी श्रमिकों पर व्यय के कारण वित्त विभाग द्वारा ₹ 55.26 करोड़ की कटौती को छोड़कर ।

गया। जिला स्तर पर, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 43 के तहत किसी भी परिसर या स्थान, जहां भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाता है, के निरीक्षण के लिए उप-श्रम आयुक्तों/श्रम अधिकारियों को निरीक्षकों के रूप में अधिसूचित किया गया।

आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल कल्याण निधि के प्रबंधन, श्रमिकों को लाभार्थियों के रूप में पंजीकरण, कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और लाभार्थियों को योजनाओं के लाभों के संवितरण के लिए उत्तरदायी है। आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल के अध्यक्ष श्रम मंत्री, राजस्थान सरकार है एवं पदेन सचिव आयुक्त, श्रम विभाग है। मण्डल में बीओसी श्रमिकों एवं स्थापनों प्रत्येक के तीन-तीन प्रतिनिधियों, दो विशेष आमंत्रित सदस्यों, भारतीय व्यापार संघ केंद्र (सीआईटीयू) से एक और भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस (आईएनटीयूसी) की एक महिला सहित 10 सदस्य शामिल होते हैं। मण्डल, श्रम विभाग के अधिकारियों के माध्यम से जिला स्तर पर भवन श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ के लिए आवेदनों पर कार्यवाही का कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार की अधिसूचना (जनवरी 2015) के अनुसार, स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों (नियोजन प्राधिकारियों) और कार्य निष्पादन विभागों[4] के अधिकारियों को भी निर्धारण अधिकारियों के रूप में उपकर के संग्रहण और निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और उपकर अधिनियम के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न एजेंसियों का उत्तरदायित्व **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1

श्रम विभाग

- स्थापनों के पंजीकरण, उपकर के निर्धारण एवं संग्रहण तथा स्थापनों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

मण्डल

- श्रमिकों के पंजीकरण, निधियों के प्रबंधन और निवेश, योजनाओं के निर्माण एवं लाभार्थियों को लाभ वितरण के लिए उत्तरदायी है।

कार्य निष्पादन विभाग

- संवेदकों के बिलों से उपकर की कटौती के लिए उत्तरदायी है।

स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण

- भवन योजना के अनुमोदन के समय अग्रिम उपकर के संग्रहण के लिये उत्तरदायी है।

[4] सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग, भू-जल विभाग और उद्यानिकी विभाग।

इसके अतिरिक्त, कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के उप-मुख्य निरीक्षक/वरिष्ठ निरीक्षक/निरीक्षक को उनके क्षेत्राधिकार में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा (नवंबर 2010) गया।

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्याः

1. इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियम, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की भावना के अनुरूप हैं और मौजूदा ढांचा अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए पर्याप्त है?
2. स्थापनों और लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए एक प्रभावी प्रणाली थी?
3. उपकर का निर्धारण, संग्रहण और एकत्रित उपकर का निधि में हस्तांतरण कुशलतापूर्वक किया गया?
4. राज्य सरकार ने उपयुक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक निर्धारित किए हैं और क्या नियोजकों द्वारा उन मानकों की अनुपालना का वातावरण सुनिश्चित किया था?
5. मण्डल द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर निधि का प्रबंधन और उपयोग कुशल और प्रभावी था तथा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं अधिनियम के अनुसार था?

1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गयाः

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996
- राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा शर्तों का नियमन) नियम, 2009
- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उपकर नियम, 1998
- भारत सरकार/राजस्थान सरकार और आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल द्वारा जारी किए गए परिपत्र और आदेश।
- बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, उपकर अधिनियम और उपकर नियम के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर आदर्श कल्याण योजना।

1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं प्रतिचयन पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा, पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2017-18 से 2021-22 को सम्मिलित करते हुए सितंबर 2022 से मई 2023 तक सम्पादित की गई । कार्यालय आयुक्त, श्रम विभाग, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल और अधिनियमों के क्रियान्वयन में सम्मिलित चयनित जिला कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गई । इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा के लिए कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के अभिलेखों सहित 55 निरीक्षण प्रतिवेदनों की भी जाँच की गई ।

दोनों अधिनियमों के क्रियान्वयन की व्यापक और समग्र व्याप्ति के लिए 33 जिलों में से पांच जिलों, जिनमें कल्याणकारी योजनाओं के तहत संवितरित लाभ (तीन[5] जिले) अधिकतम होने के साथ-साथ उपकर अंशदान (दो[6] जिलों) भी अधिकतम था, को नमूने के रूप में लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया । प्रत्येक चयनित जिले में, श्रम विभाग के जिला स्तर के कार्यालय के अभिलेखों (बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रभावकारिता का आंकलन करने के लिए) की नमूना जाँच की गयी ।

उपकर के निर्धारण, संग्रहण और उसे राजकीय खाते में जमा करने की स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चयनित पांच जिलों में 10 कार्य निष्पादन विभागों, 10 स्थानीय निकायों और श्रम विभाग के छह निर्धारण अधिकारियों से संबंधित 157 निर्धारण पत्रावलियों की जाँच की गई ।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 के तहत स्थापनों और श्रमिकों के पंजीकरण के साथ-साथ कार्यस्थलों पर बीओसी श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए निर्धारित मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, चयनित पांच जिलों में 27 स्थापनों[7] का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया ।

कल्याणकारी योजनाओं के आंकलन के लिए, चयनित पांच जिलों में आठ कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभार्थियों के 520 आवेदनों[8] की जाँच की गई । उक्त 520 लाभार्थियों में से, 305[9] बीओसी श्रमिकों का सर्वेक्षण कर योजनाओं के सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की गई । साथ ही, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बीओसी श्रमिकों में जागरूकता का आंकलन करने के लिए उपरोक्त चयनित 27 स्थापनों में नियोजित 447 श्रमिकों का सर्वेक्षण भी किया गया था ।

निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों में जाँच की गई इकाइयों की संख्या का विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दर्शाया गया है ।

---

5 जयपुर, धौलपुर और करौली ।

6 कोटा और जोधपुर ।

7 12 पंजीकृत और 15 अपंजीकृत स्थापन ।

8 धौलपुरः 105, जयपुरः 105, जोधपुरः 103, करौलीः 103 और कोटाः 104 ।

9 सभी 520 आवेदकों का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ प्रकरण सिलिकोसिस के कारण मृत्यु और आकस्मिक मृत्यु से संबंधित थे । इसके अतिरिक्त, कुछ मोबाइल नंबर भी उपलब्ध नहीं थे ।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा करने हेतु शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के साथ सितंबर 2022 में एक परिचयात्मक परिचर्चा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए विशिष्ट शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के साथ जून 2024 में समापन परिचर्चा आयोजित की गई थी। इस प्रतिवेदन के प्रारूपण में विभागीय टिप्पणियों पर विचार किया गया था।

1.6 आभार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्पन्न करने के लिए समय-समय पर मांगे गए अभिलेख, सूचना और स्पष्टीकरण प्रदान करने में श्रम विभाग, मण्डल और चयनित इकाइयों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिये लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।

अध्याय II

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अध्याय II

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

2.1 आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के सक्रिय प्रावधान

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 62 के तहत राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने चाहिए। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया गया:

(i) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 24(3) में यह निर्धारित है कि कोई भी मण्डल किसी भी वित्तीय वर्ष में, अपने सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रशासनिक व्यय के लिए पांच प्रतिशत की अधिकतम सीमा आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में शामिल नहीं की गई थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, प्रशासनिक व्यय कुल व्यय के पांच प्रतिशत के भीतर ही रहा, तथापि, भविष्य में अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में अधिकतम सीमा भी शामिल की जानी चाहिए थी।

(ii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 46 में यह निर्धारित है कि नियोजक कार्य प्रारंभ करने के 30 दिन पूर्व आठ प्रकार की जानकारी वाली एक सूचना क्षेत्राधिकार निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय ऐसी एक जानकारी, जैसे कि कार्य के विभिन्न चरणों के दौरान नियोजित होने वाले श्रमिकों की संख्या का विवरण, आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में सम्मिलित नहीं किया गया था।

(iii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, यदि कोई नियोजक धारा 46 के तहत भवन या अन्य निर्माण कार्य शुरू करने की सूचना देने में विफल रहता है, तो उसे तीन माह तक की अवधि के लिये कारावास या दो हजार रूपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। यह पाया गया कि आरबीओसीडब्ल्यू नियमों में ऐसा कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था।

इस सम्बन्ध में विभाग को अवगत (नवंबर 2024) कराया गया, हालांकि, उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2025)।

लेखापरीक्षा का मत है कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधान बीओसी श्रमिकों के कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु आवश्यक है।

2.2 संस्थागत ढांचा

राज्य बीओसीडब्ल्यू मण्डल, राज्य सलाहकार समिति और विशेषज्ञ समिति, बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में निर्धारित संस्थागत ढांचा हैं । मानव श्रम, मण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन और राज्य सलाहकार समिति के गठन से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

2.2.1 मानवश्रम की कमी

राजस्थान सरकार ने आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल के लिए 12 पद[1] स्वीकृत किये थे । इनमें से, 11 पद अक्टूबर 2011 में और कनिष्ठ लेखाकार का एक पद अप्रैल 2016 में स्वीकृत किया गया था । लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-22 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 12 में से आठ[2] पद रिक्त थे ।

जिला स्तर पर श्रम निरीक्षकों द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन और निगरानी के अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त मण्डल के विभिन्न कार्य निष्पादित किए जा रहे थे । राज्य स्तर पर और चयनित जिलों में भी स्वीकृत पदों के मुकाबले कार्यरत पदों में कमी थी । वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के श्रम विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 2.1** में दिया गया है:

तालिका 2.1: स्वीकृत पदों के विरूद्ध पदस्थापित श्रम निरीक्षकों की संख्या की स्थिति

वर्ष	राज्य		जयपुर		धौलपुर		करौली		कोटा		जोधपुर	
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद (प्रतिशत में)
2017-18	181	95 (52)	20	3 (15)	3	2 (67)	3	1 (33)	10	4 (40)	12	4 (33)
2018-19	181	118 (65)	20	20 (100)	3	2 (67)	3	1 (33)	10	6 (60)	12	8 (67)
2019-20	181	111 (61)	20	14 (70)	3	1 (33)	3	1 (33)	10	5(50)	12	8 (67)
2020-21	181	90 (50)	20	17 (85)	3	1 (33)	3	1 (33)	10	4(40)	12	3(25)
2021-22	181	89 (49)	20	19 (95)	3	1(33)	3	1 (33)	10	3(30)	12	7 (58)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017-22 के दौरान, राज्य के श्रम विभाग में श्रम निरीक्षकों की कमी 35 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के मध्य रही । इसी प्रकार, चयनित पांच जिलों में वर्ष 2017-22 के दौरान श्रम निरीक्षकों की कमी 5 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के मध्य रही (वर्ष 2018-19 में जयपुर को छोड़कर) । इस कमी ने स्थापनों के निरीक्षण (**अनुच्छेद 5.4.2**) और उपकर के संग्रहण (**अनुच्छेद 4.2**) को प्रभावित किया ।

---

[1] सहायक श्रम आयुक्तः 1, लेखा अधिकारीः 1, लेखाकारः 1, कनिष्ठ लेखाकारः 1, श्रम निरीक्षकः 2, निजी सहायकः 1, उच्च श्रेणी लिपिकः 1, निम्न श्रेणी लिपिकः 2 और ग्रुप-डीः 2 ।

[2] सहायक श्रम आयुक्तः 1, लेखाकारः 1, निजी सहायकः 1, उच्च श्रेणी लिपिकः 1, निम्न श्रेणी लिपिकः 2 (वर्ष 2017-18: 1 पद) और ग्रुप-डीः 2 ।

2.2.2 मण्डल के निर्णयों का क्रियान्वयन नहीं होना

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों का नियम 40 यह निर्धारित करता है कि मण्डल सचिव को मण्डल के निर्णयों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। मण्डल को अपनी बैठक में निर्णय लेने तथा माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन के बाद योजना में संशोधन करने का अधिकार है। तत्पश्चात्, योजना के दिशा-निर्देशों में, लिए गये निर्णयों/संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु मण्डल सचिव द्वारा निर्देश जारी किये जाने चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017 और वर्ष 2021 के दौरान, माननीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मण्डल की बैठकों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे जैसा कि **तालिका 2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: बैठकों में लिए गए मण्डल के निर्णय

मण्डल की बैठक	बैठक की तिथि	निर्णय
26वीं	11 अगस्त 2017	मृत्यु अथवा घायल सहायता योजना के अंतर्गत उन मामलों में दी जाने वाली सहायता राशि बहुत कम है, जहां दुर्घटना के कारण बीओसी श्रमिक अपना कार्य करने में अक्षम हो जाता है। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप श्रमिकों की स्थायी विकलांगता (आंशिक/पूर्ण) होती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व में प्रदान की गई सहायता राशि को समायोजित किए बिना पूर्ण लाभ दिया जाना चाहिए।
31वीं	06 जुलाई 2021	मृत्यु अथवा घायल सहायता योजना के तहत किसी दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता (आंशिक/पूर्ण) की स्थिति में सहायता प्रदान की जा रही थी। किसी बीमारी या अन्य कारणों से स्थायी विकलांगता (आंशिक/पूर्ण) के मामले में भी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

तथापि, यह पाया गया कि मण्डल ने अपने उपरोक्त निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए आगे कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की।

सचिव, मण्डल ने उत्तर में अवगत (अक्टूबर 2024) कराया कि योजनाओं का क्रियान्वयन केवल मण्डल की बैठक में अनुमोदन और माननीय श्रम मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया गया था। साथ ही, योजना के प्रावधानों में संशोधन आवश्यकतानुसार किया जाता है।

तथ्य यह है कि बैठकों के दौरान ही सक्षम अधिकारियों द्वारा ये निर्णय अनुमोदित कर दिए गये थे, तथापि, मण्डल द्वारा निर्णय को लागू करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई।

2.2.3 राज्य सलाहकार समिति का गठन

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि राज्य सरकार को एक राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का गठन करना होगा। आरबीओसीडब्ल्यू के नियम 4 के अनुसार, एसएसी में एक अध्यक्ष और नियोजकों व भवन श्रमिकों के प्रतिनिधियों सहित 13[3] सदस्य होंगे। आरबीओसीडब्ल्यू नियमों का नियम 5 भी यह प्रावधान करता है कि एसएसी का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के नियम 14 में यह प्रावधान है कि एसएसी की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, ताकि अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर राज्य सरकार को सलाह दे सके जैसा कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 4 में उल्लेखित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एसएसी का पुनर्गठन अंतिम बार सितंबर 2015 में किया गया था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, निर्धारित 20 बैठकों के विरूद्ध एसएसी की केवल एक बैठक (28 अप्रैल 2017) आयोजित की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम में अपेक्षित आवश्यक कार्यों का निर्वहन नहीं किया जा सका। विभाग ने इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने आरबीओसीडब्ल्यू नियम बनाते समय बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों को शामिल नहीं किया। इसके अलावा, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल और श्रम विभाग में मानवश्रम की कमी थी, जिससे बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण तथा उपकर के संग्रहण सहित स्थापनों के निरीक्षण और अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना प्रभावित रही।

अनुशंसा 1: राजस्थान सरकार द्वारा बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल और श्रम विभाग में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरकर मौजूदा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

[3] (i) राज्य विधान मंडल के दो सदस्य; (ii) केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य; (iii) मुख्य निरीक्षक; (iv) बीओसी कार्य से जुड़े नियोजकों के चार प्रतिनिधि; (v) भवन श्रमिकों के चार प्रतिनिधि; (vi) दुर्घटना बीमा संस्थान का एक प्रतिनिधि।

अध्याय III

स्थापनों एवं श्रमिकों का पंजीकरण

अध्याय III

स्थापनों एवं श्रमिकों का पंजीकरण

3.1 स्थापनों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधान उस 'प्रत्येक स्थापन' पर लागू होते हैं, जिसमें किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य[1] में दस या अधिक भवन कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह माह में किसी भी दिन नियोजित थे । बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत स्थापन से अभिप्रेत सरकार का या उसके नियंत्रण के अधीन कोई स्थापन, कोई निगमित निकाय या फर्म, कोई व्यष्टि या व्यष्टि संगम या अन्य व्यष्टि निकाय, जो किसी भी भवन या अन्य निर्माण कार्य में भवन कर्मकारों को नियोजित करता है और इसमें संवेदक से संबंधित स्थापन भी शामिल है ।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, किसी स्थापन के संबंध में प्रत्येक नियोजक[2], जिस पर यह अधिनियम लागू है, उसे कार्य प्रारंभ होने के 60 दिवस की अवधि के भीतर उस क्षेत्र, जिसमें भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है, के पंजीयन अधिकारी को आवेदन करना होगा ताकि ऐसे स्थापन का पंजीकरण किया जा सके । नियोजक द्वारा आवेदन करने, शुल्क का भुगतान करने और श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया एक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली 'श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस)' के माध्यम से की गई थी । स्थापन के पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, नियोजक को स्थापन का नाम और स्थान जहां भवन और अन्य सन्निर्माण कार्य किया जाना है, कार्य की प्रकृति, किसी भी दिन नियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित भवन निर्माण कर्मकारों की अधिकतम संख्या, कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की अनुमानित दिनांक, आदि जैसे विवरणों का उल्लेख करना होता है ।

स्थापनों के पंजीकरण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है ।

---

[1] बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य को परिभाषित किया गया है जिसमें भवनों का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव या नष्टीकरण और सड़कों, रेलवे, ट्रॉमवेज, हवाई क्षेत्र, सिंचाई, जल निकासी, आदि और ऐसे अन्य कार्य जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं ।

[2] बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 2 (1) (झ) के अनुसार, किसी स्थापन के संबंध में, "नियोजक" से उसका स्वामी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत है: (i) किसी संवेदक के बिना सीधे सरकार के किसी विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में, इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, या जहाँ कोई प्राधिकारी विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है वहां, विभागाध्यक्ष; (ii) किसी संवेदक के बिना सीधे किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य स्थापन द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के संबंध में उस प्राधिकरण या स्थापन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी; (iii) किसी संवेदक द्वारा या उसके माध्यम से अथवा किसी संवेदक द्वारा प्रदाय किए गए भवन कर्मकारों के नियोजन द्वारा किये जाने वाले किसी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, संवेदक ।

3.1.1 राज्य और चयनित जिलों में स्थापनों का पंजीकरण

स्थापन का पंजीकरण नियोजक को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम और आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के दायरे में लाता है, जिससे सन्निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपायों की अनुपालना सुनिश्चित होती है ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक राज्य में केवल 2,949 संस्थान ही पंजीकृत थे । वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान राज्य और नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में स्थापनों के पंजीकरण का वर्षवार विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.1: राज्य और नमूना जाँच किये गये जिलों में पंजीकृत स्थापनों की संख्या

वार्षिक पंजीकरण	पंजीकृत स्थापनों की संख्या					
	राज्य	जयपुर	धौलपुर	करौली	जोधपुर	कोटा
31.03.2017 तक पंजीकृत स्थापनों की संख्या	485	171	0	7	12	44
2017-18	478	179	0	55	14	23
2018-19	458	111	0	10	19	36
2019-20	696	325	0	4	12	36
2020-21	456	140	0	3	10	62
2021-22	376	77	2	0	5	30
कुल	**2,949**	**1,003**	**2**	**79**	**72**	**231**

स्रोत - श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस) के अनुसार ।

तालिका 3.1 से स्पष्ट है कि मार्च 2022 तक राज्य में पंजीकृत स्थापनों की संख्या 2,949 थी और चयनित पांच जिलों में इनकी संख्या 1,387 थी ।

इसके अतिरिक्त, यह सत्यापित करने के लिए कि क्या सभी निर्माण स्थापन अपना पंजीकरण करा रहे थे, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित चयनित नमूनों में पंजीकरण की जाँच की (i) निर्माण कार्य निष्पादन विभागों द्वारा वर्ष 2017-22 के दौरान निष्पादित 44 निर्माण कार्य, (ii) वर्ष 2017-22 के दौरान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण[3] (रेरा) के साथ पंजीकृत 40 निर्माण परियोजनाएं, (iii) 15 अपंजीकृत स्थापन, (iv) कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (एफबीआईडी) के 55 निरीक्षण प्रतिवेदन (v) 157 निर्धारण पत्रावलियां और (vi) नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में योजना प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाएं । लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

[3] राज्य में भू-सम्पदा क्षेत्र के विनियमन और संवर्धन के लिए रेरा की स्थापना की गई थी । सभी भू-सम्पदा परियोजनाएं जिनमें विकसित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग मीटर से अधिक है और विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अपार्टमेंटों की संख्या आठ से अधिक है, उन्हें रेरा के साथ पंजीकरण कराना होगा ।

- निर्माण कार्य निष्पादित करने वाले विभागों के पास चयनित 44 निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिकों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस जानकारी के अभाव में, नमूना जाँच किये गए पांच जिलों में इन निर्माण कार्यों के पंजीकरण की आवश्यकता का सत्यापन नहीं किया जा सका। यद्यपि, श्रम विभाग के आंकड़ों के साथ मिलान करने पर यह पाया गया कि इन चयनित 44 निर्माण कार्यों में से 42 निर्माण कार्य बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थे।

- नमूना जाँच की गई 40 रेरा पंजीकृत परियोजनाओं[4] में से 32 (80 प्रतिशत) परियोजनाएं बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थीं। इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने अवगत (जुलाई 2024) कराया कि श्रम विभाग के पास रेरा पंजीकृत परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

- श्रम विभाग के प्रतिनिधियों के साथ किये गये 15 चयनित अपंजीकृत स्थापनों के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि उनमें से आठ (53 प्रतिशत) स्थापनों में 10 से अधिक बीओसी श्रमिक नियोजित थे, अतः इन स्थापनों को पंजीकृत होना चाहिए था।

- श्रम विभाग ने निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा स्थितियों के निरीक्षण का कार्य राजस्थान सरकार के कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग (एफबीआईडी) को सौंपा था। लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में एफबीआईडी, राजस्थान सरकार के 55 निरीक्षण प्रतिवेदनों की नमूना जाँच की और पाया कि 10 या अधिक बीओसी श्रमिक वाले 26 स्थापनों में से केवल तीन स्थापन बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत पंजीकृत थे। इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2024) कि इन स्थापनों के पंजीकरण हेतु जिला कार्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

- चयनित पांच जिलों की चुनी गई 157 निर्धारण पत्रावलियों[5] की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 55 स्थापनों को निर्धारण पत्रावलियों में पंजीकृत के रूप में चिह्नित किया गया था। शेष 102 स्थापनों की निर्धारण पत्रावलियों में पंजीकरण के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन 102 स्थापनों में से आठ स्थापनों में 10 से अधिक बीओसी श्रमिक नियोजित थे और नियोजित श्रमिकों का विवरण सर्वेक्षण प्रपत्र[6]/प्रपत्र-I[7] में निर्धारण पत्रावलियो में उपलब्ध था, अतः इन्हें पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था।

---

[4] धौलपुरः 5; जयपुरः 4; जोधपुरः 14; करौलीः 1 और कोटाः 16।

[5] निर्धारण पत्रावलियां किसी स्थापन के संबंध में उपकर के निर्धारण और संग्रहण से संबंधित होती है और इसमें निर्माण लागत, देय उपकर की गणना, निर्धारण आदेश और संग्रहित किए गए वास्तविक उपकर जैसे विवरण शामिल होते हैं।

[6] सर्वेक्षण, उन स्थापनों की पहचान करने की एक प्रमुख विधि है जो अधिनियम के दायरे में आते हैं और जहां उपकर लगाया जा सकता है।

[7] बीओसीडब्ल्यू उपकर नियमों के नियम 6(1) के अनुसार, प्रत्येक नियोजक, कार्य शुरू होने के तीस दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को प्रपत्र-I में सूचना प्रस्तुत करेगा।

- चयनित पांच जिलों में नियोजन प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इनमें से कोई भी स्थापन श्रम विभाग के अधीन पंजीकृत नहीं थे।

इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि विभाग की अपर्याप्त निगरानी के कारण बड़ी संख्या में पात्र स्थापन अपंजीकृत रह गए।

राजस्थान सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि विभाग में मानवश्रम की कमी है और विभाग द्वारा 22 श्रम संबंधी अधिनियमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की भावना के अनुसरण में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा निर्माण कार्यों में संलग्न स्थापनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को अभियान चलाने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

3.1.2 निर्माण कार्य निष्पादन विभागों/नियोजन प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करना

(i) विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने एवं पंजीकरण और उपकर संग्रहण की समग्र दक्षता में सुधार हेतु जिला स्तरीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को बीओसीडब्ल्यू टास्क फोर्स (बीटीएफ) का गठन करने के निर्देश प्रदान (15 सितंबर 2015) किये गये थे। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में श्रम विभाग के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी बीटीएफ के संयोजक थे। बीटीएफ को महीने में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करना और राज्य सरकार के विभागों/अन्य निकायों द्वारा शुरू किए गए सभी लोक निर्माण कार्यों, इन कार्यों के पंजीकरण की स्थिति, इन कार्यों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण और उपकर के संग्रहण के संबंध में सूचना साझा किया जाना अपेक्षित था।

नमूना जाँच किये गये जिलों में अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान आयोजित बीटीएफ की बैठकों में विभिन्न विभागों को श्रम विभाग के साथ जानकारी साझा करने के लिए केवल निर्देश ही प्रदान किये गए थे। हालांकि, इन विभागों द्वारा निष्पादित कार्यों/नियोजन प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं से संबंधित जानकारी श्रम विभाग से साझा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये चार जिलों में से प्रत्येक में 60 बैठकों के लक्ष्य की तुलना में केवल तीन से 18 बैठकें[8] ही आयोजित की गई थी।

(ii) श्रम विभाग, राजस्थान सरकार ने भी सभी श्रम अधिकारियों को निर्देश जारी (30 सितंबर 2015) किए कि वे राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सभी लोक निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त करें ताकि स्थापनों का समय पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

चयनित पांच जिलों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि श्रम अधिकारियों द्वारा कार्य निष्पादन विभागों और स्थानीय निकायों से निर्माण कार्यों की कोई सूची प्राप्त नहीं की गई थी।

[8] जोधपुर : 3, कोटा : 18, जयपुर : 3 और करौली : 6।

उपरोक्त स्थिति यह दर्शाती है कि श्रम विभाग द्वारा कार्य निष्पादन विभागों/स्थानीय निकायों के साथ समन्वय सुनिश्चित करने और सूचना प्राप्त करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका उपयोग पंजीकरण के लिए पात्र सभी स्थापनों को दायरे में शामिल करने के लिए किया जा सकता है।

3.1.3 स्थापनों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक नियोजक जो बीओसी श्रमिकों को नियोजित कर निर्माण करवा रहा हो तो उसे कार्य प्रारंभ होने से 60 दिनों के भीतर स्थापन के पंजीकरण के लिए जिले के पंजीयन अधिकारी को एक आवेदन करना होगा। परंतु यदि पंजीयन अधिकारी संतुष्ट हो जाए कि किसी पर्याप्त कारणवश आवेदक समय पर आवेदन नहीं कर सका तो 60 दिवस की निर्धारित अवधि के बाद भी ऐसे किसी आवेदन को स्वीकार कर सकता है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 50 के अनुसार, पंजीकरण में विफलता/देरी होने पर ₹ 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में 2,464 स्थापन पंजीकृत किये गए, जिनमें से 990 प्रकरणों (40.18 प्रतिशत) में नियोजकों ने निर्धारित 60 दिवस की अवधि के अतिरिक्त एक से 1,635 दिनों की देरी से स्थापनों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।

इसी प्रकार, नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में, 1,153 पंजीकृत स्थापनों में से 551 (48 प्रतिशत) में नियोजकों ने वर्ष 2017-22 के दौरान निर्धारित 60 दिवस की अवधि के अतिरिक्त एक से 1,635 दिनों की देरी के साथ स्थापनों के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था जिसका विवरण निम्न **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: स्थापनों के पंजीकरण में देरी का विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकृत स्थापनों की कुल संख्या	निर्धारित 60 दिनों के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नियोजकों की संख्या	देरी (दिनों में)
	राज्य	2,464	990	1 से 1,635
1.	धौलपुर	02	01	113
2.	जयपुर	832	378	1 से 1,635
3.	करौली	72	55	3 से 785
4.	कोटा	187	93	4 से 1,051
5.	जोधपुर	60	24	09 से 772
कुल		**1,153**	**551 (47.79%)**	

राजस्थान सरकार ने अवगत (अक्टूबर 2024) कराया कि 76 प्रकरणों में ₹ 1.43 लाख का जुर्माना लगाया गया था। इससे यह इंगित होता है कि शेष 914 प्रकरणों में जुर्माना नहीं लगाया गया था।

3.1.4 कार्य प्रारंभ होने की वास्तविक दिनांक और पूर्ण होने की संभावित दिनांक की सूचना न देना

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के नियम 20(3) और 66(1) के अनुसार, स्थापनों को कार्य शुरू होने के 30 दिन पहले वास्तविक प्रारंभ की दिनांक और उनके द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के पूर्ण होने की संभावित दिनांक की सूचना क्षेत्राधिकार के श्रम निरीक्षक को निर्धारित प्रपत्र में देनी चाहिए। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 48 में ऐसी सूचना देने में विफलता के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान चयनित जिलों में पंजीकृत 1,153 स्थापनों में से केवल 52 प्रकरणों (कोटा जिला) में ही श्रम निरीक्षक द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त की गई। यह भी पाया गया कि शेष 1,101 पंजीकृत स्थापनों में से केवल 37 प्रकरणों[9] (तीन प्रतिशत) में जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई।

राजस्थान सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि विभाग में मानवश्रम की कमी है और विभाग द्वारा 22 श्रम संबंधी अधिनियमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की भावना के अनुसरण में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा निर्माण कार्यों में संलग्न स्थापनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों को अभियान चलाने हेतु निर्देश दिए जाएंगे।

3.2 श्रमिकों का पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 में यह निर्धारित है कि 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक भवन निर्माण श्रमिक जो पिछले बारह माह के दौरान किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिनों तक की अवधि के लिए नियोजित रहा हो, वह बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

सितंबर 2016 से, श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित 'श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली' (एलडीएमएस) नामक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा जिसमे निर्धारित दस्तावेजों (आयु का प्रमाण, भवन या निर्माण कार्य में नियोजन का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या जन आधार/भामाशाह कार्ड और फोटोग्राफ आदि) के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रमिक सामान्यतः इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत साइबर कियोस्क (ई-मित्र), जो नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करते हैं, का उपयोग करते हैं।

[9] जयपुरः छह प्रकरण, कोटाः 21 प्रकरण और जोधपुरः 10 प्रकरण।

3.2.1 राज्य और चयनित जिलों में श्रमिकों का पंजीकरण

एलडीएमएस आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में मार्च 2022 तक 30.10 लाख बीओसी श्रमिक पंजीकृत थे। राज्य व चयनित पांच जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या का विवरण नीचे **तालिका 3.3** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.3: राज्य व चयनित पांच जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या

वर्ष	राज्य	जयपुर	जोधपुर	धौलपुर	करौली	कोटा
2017-18	11,14,172	70,677	52,407	21,096	28,670	13,324
2018-19	5,61,704	21,648	12,275	15,443	26,802	8,652
2019-20	72,553	4,895	2,548	4,718	8,284	3,880
2020-21	2,24,771	18,149	7,412	9,117	6,094	8,507
2021-22	2,16,834	8,539	20,267	5,690	1,302	6,937

स्रोतः श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस)।

उपरोक्त तालिका यह इंगित करती है कि राज्य में श्रमिकों का वर्षवार पंजीकरण, वर्ष 2017-18 में 11,14,172 से तीव्र रूप से घटकर वर्ष 2019-20 में केवल 72,553 रह गया। हालांकि, वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 2,16,834 हो गया। नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में भी यही प्रवृत्ति पाई गई।

नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में 447 श्रमिकों वाले 27 स्थापनों (12 पंजीकृत स्थापनों सहित) के भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 27 श्रमिक (छह प्रतिशत) पंजीकृत थे और शेष 420[10] श्रमिक पंजीकृत नहीं पाए गए।

राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2023) कि बहुत से गैर-बीओसी श्रमिक बीओसी श्रमिकों के रूप में पंजीकृत पाए गए थे, इसलिए पंजीकरण सस्ती से किये गये थे, जिससे पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में कमी आई।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रासंगिक क़ानूनी ढांचे के तहत स्थापनों और बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण अंतराल था। वर्ष 2017 और 2022 के बीच, राज्य में केवल 2,464 स्थापन पंजीकृत थे, जिनमें से 40.18 प्रतिशत ने निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। श्रम विभाग ने निर्माण कार्य निष्पादन विभागों और नियोजन प्राधिकरणों से लोक निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त नहीं की, जिसके कारण अधिनियम के तहत स्थापनों के आवश्यक पंजीकरण का दायरा अपूर्ण रहा।

[10] जयपुरः 100; जोधपुरः 98; धौलपुरः 19; करौलीः 91 और कोटाः 112।

मार्च 2022 तक, राजस्थान में 30.10 लाख बीओसी श्रमिक पंजीकृत थे। हालांकि, चयनित पांच जिलों में 27 स्थापनों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कुल नियोजित श्रमिकों में से केवल छह प्रतिशत ही वास्तव में पंजीकृत थे, जो सभी पात्र श्रमिकों के पंजीकरण हेतु प्रणाली में अपर्याप्तता को दर्शाता है।

अनुशंसा 2: श्रम विभाग को सभी निर्माण कार्य निष्पादन विभागों और नियोजन प्राधिकरणों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित करना चाहिए, ताकि चल रहे और पूर्ण हो चुके कार्यों के संबंध में समय पर एवं सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र स्थापनों की पहचान कर ली गई है और उन्हें अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।

अध्याय IV

उपकर का निर्धारण, संग्रहण और हस्तांतरण

अध्याय IV

उपकर का निर्धारण, संग्रहण और हस्तांतरण

4.1 उपकर का निर्धारण और अधिरोपण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संसाधनों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने नियोजकों द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकर लगाने और संग्रहण का प्रावधान करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) अधिनियमित (अगस्त 1996) किया। उपकर अधिनियम को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 (उपकर नियम) अधिसूचित (मार्च 1998) किए।

भारत सरकार ने नियोजकों द्वारा वहन की गई निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाने की अधिसूचना (सितम्बर 1996) जारी की। राजस्थान सरकार ने जुलाई 2009 में राजस्थान में उपकर नियम, 1998 को अपनाया जिसके तहत नियोजक द्वारा किए गए निर्माण की कुल लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर लगाये जाने का प्रावधान रखा गया।

उपकर के तीन स्रोत हैं: (i) सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निर्माण कार्य करते समय ठेकेदार के बिलों से स्रोत पर उपकर की कटौती के लिए जिम्मेदार होते हैं; (ii) स्थानीय निकाय/शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत भवन योजनाओं के अनुमोदन के समय अनुमानित निर्माण लागत के प्रतिशतता के रूप में अग्रिम उपकर एकत्र करने के लिए उत्तरदायी हैं और (iii) श्रम विभाग द्वारा किये गए निर्धारण के आधार पर उपकर का संग्रहण किया जाता है।

उपकर नियमों के नियम 5(3) के अनुसार, श्रम विभाग द्वारा स्थापनों से संग्रहित उपकर की राशि को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर मण्डल की निधि में हस्तांतरित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में उपकर संग्रहकों द्वारा एकत्र किए गए उपकर को पहले राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष (0230-800-06) में जमा किया गया और फिर राज्य सरकार द्वारा आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, ₹ 2,002.43 करोड़ का उपकर संग्रहित किया गया था, और ₹ 1,788.99 करोड़ का उपकर तीन से 22 महीने की देरी के साथ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था। राजस्व शीर्ष में संग्रहित और आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में जमा किए गए उपकर की वर्षवार राशि नीचे **तालिका 4.1** में दी गई है:

तालिका 4.1: राजस्व शीर्ष में संग्रहित उपकर की राशि और आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में जमा की गई राशि का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व मद में एकत्रित उपकर	आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि को हस्तांतरित उपकर
2017-18	338.60	342.69
2018-19	382.59	338.60
2019-20	412.82	382.59
2020-21	367.55	357.56[1]
2021-22	500.87	367.55

स्रोत: मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार।

राजस्थान सरकार ने अवगत (दिसंबर 2023) कराया कि एक वर्ष में संग्रहित उपकर को राजस्थान सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष में आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया जाता है। जुलाई 2023 से मासिक आधार पर एकत्रित उपकर का हस्तांतरण किया जाना वित्त विभाग के पास विचाराधीन है।

उपकर के निर्धारण और अधिरोपण में लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

4.1.1 उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी स्थापनों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण में कमी

श्रम विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी (मार्च 2019) की जिसमें अधिनियम के दायरे में आने वाले स्थापनों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक श्रम निरीक्षक को अपने क्षेत्राधिकार में प्रति माह 50 निर्माण कार्यों का सर्वेक्षण कर संबंधित निर्धारण अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक था, जो यदि उपकर देय हो तो उसे जमा करने के लिए नियोजक को, नोटिस जारी करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आरबीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 के लागू करने के दस वर्ष बाद मार्च 2019 में लक्ष्य निर्धारित किए गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-22 के दौरान, 1,74,000 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विपरीत राज्य स्तर पर केवल 60,590 (34.82 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे। चयनित पांच जिलों में, 49,100 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विरुद्ध 12,552 (25.56 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे (***परिशिष्ट 4.1***)।

राजस्थान सरकार ने अवगत (मार्च 2024) कराया कि सर्वेक्षणों में कमी का कारण कोविड महामारी और विभाग में श्रम निरीक्षकों की कमी थी।

[1] कोविड-19 महामारी के दौरान बीओसी श्रमिकों पर व्यय किये जाने के लिए संग्रहित ₹ 412.82 करोड़ में से ₹ 55.26 करोड़ हस्तांतरित नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा का मत है कि भविष्य में लक्ष्यों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

4.1.2 निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाना

(i) कार्य निष्पादन विभागों और स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाना

उपकर नियमों की अनुपालना में, उप श्रम आयुक्त/अन्य श्रम अधिकारियों को 'उपकर संग्राहक' और 'निर्धारण अधिकारी' के रूप में नियुक्त (जुलाई 2009) किया गया था। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकायों और कार्य निष्पादन विभागों के अधिकारियों को भी 'उपकर संग्राहक' और 'निर्धारण अधिकारी' के रूप में नियुक्त (जनवरी 2015) किया गया था।

इसके अतिरिक्त, उपकर नियमों के नियम 6(1) के अनुसार, प्रत्येक नियोजक कार्य प्रारम्भ करने के 30 दिनों के भीतर निर्धारण अधिकारी को फॉर्म-I में सूचना प्रस्तुत करेगा। निर्धारण अधिकारी को, ऐसी सूचना की संवीक्षा करने के पश्चात्, छह माह के भीतर उपकर निर्धारण आदेश जारी करना आवश्यक है। उपकर निर्धारण आदेश में देय उपकर की राशि, नियोजक द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका उपकर अथवा स्रोत पर काटा गया उपकर तथा देय शेष राशि तथा उपकर का भुगतान किए जाने की दिनांक विनिर्दिष्ट होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्थानीय निकायों और कार्य निष्पादन विभागों के अधिकारी, भवन योजनाओं की स्वीकृति देते समय अग्रिम उपकर संग्रहित करके या ठेकेदारों को किए गए भुगतान से उपकर काटकर, केवल उपकर संग्राहक का कर्तव्य निभा रहे थे, परन्तु, जाँच हेतु चयनित किये गये पांच जिलों में देय उपकर की वसूली सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017-22 के दौरान, उनके द्वारा कोई अंतिम निर्धारण आदेश जारी नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, विभाग ने सभी निर्धारण अधिकारियों के साथ प्रमुख शासन सचिव, श्रम विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित (जनवरी 2024) की और उन्हें अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले करदाताओं से उपकर का निर्धारण कर श्रम विभाग के साथ जानकारी साझा करने हेतु निर्देशित किया।

(ii) श्रम विभाग द्वारा उपकर निर्धारण आदेश जारी नहीं किया जाना

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि जाँच हेतु चयनित किये गये पांच जिलों में लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान श्रम विभाग द्वारा निर्माण की अन्तिम लागत का निर्धारण करने के बाद कुल पंजीकृत 1,153 स्थापनों में से केवल 49 स्थापनों[2] (पांच प्रतिशत) को ही निर्धारण आदेश जारी किए गए थे।

[2] जोधपुर में 02 और कोटा में 47।

राजस्थान सरकार ने अपने प्रत्युत्तर में अवगत (मार्च 2024) कराया कि 386 स्थापनों (1,153 में से) के निर्धारण आदेश जारी किए जा चुके हैं और निर्धारण अधिकारियों को शेष मामलों में निर्धारण आदेश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

4.1.3 उपकर निर्धारण के लिए निर्माण लागत की गणना हेतु तंत्र

उपकर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ने निर्माण लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के एक प्रतिशत के रूप में उपकर की दर अधिसूचित (जुलाई 2010) की थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्माण की लागत की गणना के लिए, श्रम विभाग ने विभिन्न प्रकार के भवनों (वाणिज्यिक, आवासीय, शॉपिंग मॉल आदि) के प्रति वर्ग फुट पर लागू होने वाली न्यूनतम दर निर्धारित (सितंबर 2016) की थी। प्रत्येक प्रकार के भवनों को आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था: "ए, बी या सी" अर्थात निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर बेहतरीन, मध्यम और सामान्य निर्माण। निर्माण की लागत की न्यूनतम दर भवन की श्रेणी (ए, बी, सी) के अनुसार तय की जानी थी और इसके लिए विभिन्न मानदंडों के आधार पर निर्माण की श्रेणी[3] निर्धारित करने के लिए एक चेक लिस्ट विकसित की गई थी। यह चेक लिस्ट स्थापनों द्वारा भरी जानी थी।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि भरी हुई चेक लिस्ट से ए, बी और सी श्रेणी में भवन के वर्गीकरण के लिए श्रम विभाग ने कोई विस्तृत गणना विधि निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में चयनित 157 निर्धारण आदेशों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि इन सभी मामलों में निर्माण करने वाली संस्था द्वारा चेक लिस्ट नहीं भरी गई थी।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में अवगत (नवंबर 2023) कराया कि एक समिति का गठन (सितंबर 2009) किया गया था, जिसने भवन और उसमें प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री के उपयोग के आधार पर निर्माण कार्यों को तीन श्रेणियों (ए, बी और सी) में वर्गीकृत करके निर्माण लागत निर्धारित करने के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीके निर्धारित किए थे।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को दोहराया और निर्माण की लागत की अनुमानित दर निर्धारित करने हेतु भवनों की श्रेणी का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली मौजूदा विधि में विशिष्ट मानदंडों की कमी के संबंध में विशिष्ट उत्तर नहीं दिया। यह निर्माण लागत की गणना और उपकर के निर्धारण में पक्षपात को इंगित करता है।

4.2 उपकर का संग्रहण

4.2.1 उपकर की वसूली न होना

(i) श्रम विभाग द्वारा उपकर की वसूली नहीं किया जाना

उपकर नियमों के नियम 4(1) के अनुसार, निर्धारण आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर उपकर संग्रहित किया जाना चाहिए, इसमें विफल होने पर, नियोजक बकाया राशि पर प्रत्येक

[3] लिफ्टों की संख्या, इस्तेमाल की गई लकड़ी का विवरण, एसी सिस्टम, बेसमेंट, सैनिटरी फिक्स्चर और उपयोग किया गया पत्थर।

विलंबित माह के लिए दो प्रतिशत की दर से ब्याज (बीओसीडब्ल्यू उपकर अधिनियम की धारा 8 के अनुसार) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, उपकर नियमों के नियम 13 के अनुसार, नियोजक से देय किसी भी राशि के लिए मण्डल सचिव, जिला कलेक्टरों को इसे भू-राजस्व के बकाया के रूप मे वसूली करने के निर्देश देंगे।

चयनित 157 उपकर निर्धारण पत्रावलियों, जिनमें श्रम विभाग द्वारा निर्धारण आदेश जारी किए गए थे, की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2022 तक 75 (48 प्रतिशत) प्रकरणों में ₹ 2.87 करोड़ की राशि का उपकर वसूल नहीं किया गया था। असंग्रहित उपकर पर ₹ 2.52 करोड़[4] के ब्याज का भुगतान करने के लिए नियोजक उत्तरदायी थे। इस प्रकार, कुल ₹ 5.39 करोड़ असंग्रहित रहे। इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 तक 75 में से केवल 27 प्रकरणों[5] (36 प्रतिशत) को वसूली के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भेजा गया था।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में अवगत (मार्च 2024) कराया कि शेष प्रकरणों की अनुपालना सुनिश्चित की जा रही थी।

(ii) कार्य निष्पादन विभागों द्वारा उपकर की वसूली नहीं किया जाना

उपकर नियमों के नियम 4(3) के अनुसार, जहां उपकर का उद्ग्रहण किसी सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से संबंधित है, वहां ऐसी सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम ऐसे कार्यों के लिए भुगतान किए गए बिलों से अधिसूचित दरों (एक प्रतिशत) पर संदेय उपकर की कटौती करेगा अथवा करवाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान, कार्य निष्पादन विभागों द्वारा निष्पादित किए गए चयनित 44 निर्माण कार्यों में से 30 निर्माण कार्यों में देय उपकर काटा गया था। राशि ₹ 1,103.62 करोड़ मूल्य के शेष 14 कार्यों में, एक प्रतिशत की दर से राशि ₹ 11.04 करोड़ रुपए का उपकर लगाया जाना था, तथापि, ठेकेदारों को अंतिम भुगतान करते समय राशि ₹ 1.23 करोड़[6] का उपकर वसूल नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्य निष्पादन विभागों द्वारा देय उपकर की वसूली नहीं की गई थी।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर और श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर ने यह स्पष्ट किया (मई और मार्च 2023) कि निर्माण कार्य करने वाले विभागों की जिम्मेदारी है कि वे देय उपकर की कटौती करें तथा श्रम कल्याण अधिकारी, जोधपुर (मई 2023) ने बताया कि संबंधित निष्पादन विभाग को देय उपकर की कटौती करने और जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

---

[4] धौलपुर- ₹ 0.01 करोड़, जयपुर- ₹ 1.12 करोड़, जोधपुर- ₹ 0.57 करोड़, करौली- ₹ 0.13 करोड़ और कोटा- ₹ 0.69 करोड़।

[5] जोधपुर-2 प्रकरण और कोटा- 25 प्रकरण।

[6] धौलपुर- दो कार्यों में ₹ 0.37 करोड़, जयपुर- पांच कार्यों में ₹ 0.12 करोड़, जोधपुर- पांच कार्यों में ₹ 0.71 करोड़ और करौली- दो कार्यों में ₹ 0.03 करोड़।

4.2.2 नियोजन प्राधिकरणों द्वारा उपकर का संग्रहण न किया जाना

उपकर नियमों के नियम 4(4) के अनुसार, स्थानीय निकाय अधिसूचित दरों पर निर्माण की अनुमानित लागत पर उपकर की कटौती करेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्थान सरकार के श्रम विभाग ने अपनी बैठक (सितंबर 2016) में अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बीओसी श्रमिकों के प्रतिनिधियों, बीओसी कार्यों से जुड़े सरकारी विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करें ताकि बीओसी श्रमिकों, स्थापनों का पंजीकरण और उपकर का संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

(i) लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकाय (नियोजन प्राधिकरणों) द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाओं का चयन किया गया, इन 78 भवन योजनाओं में से 70 भवन योजनाओं[7] में अग्रिम उपकर संग्रहित किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि, यह पाया गया कि 16 भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय राशि ₹ 8.34 लाख[8] का अग्रिम उपकर संग्रहित नहीं किया गया था।

(ii) उपकर नियमों के नियम 4(4) में प्रावधान है कि स्थानीय निकायों को किसी निर्माण कार्य का अनुमोदन करते समय निर्माण की अनुमानित लागत के आधार पर अग्रिम उपकर संग्रहित करना होगा। यदि परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना है, तो प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के दौरान अनुमानित निर्माण की लागत पर देय उपकर संग्रहित किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए देय उपकर का उसी प्रकार भुगतान लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने रेरा (रेरा की वेबसाइट पर उपलब्ध) पर पंजीकृत चयनित 40 परियोजनाओं से संबंधित जानकारी (निर्माण की लागत) और श्रम विभाग के पास जमा उपकर की राशि का विश्लेषण किया और यह पाया कि 17 परियोजनाओं में, मार्च 2022 तक ₹ 4.82 करोड़[9] (ब्याज सहित) की राशि का उपकर जमा नहीं किया गया था।

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, जयपुर एवं कोटा और श्रम कल्याण अधिकारी, धौलपुर ने अवगत कराया कि सर्वेक्षण के बाद देय उपकर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

यह स्थिति दर्शाती है कि श्रम विभाग ने उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए रेरा के पास सुलभ रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग नहीं किया।

---

[7] चयनित 78 भवन योजनाओं में से ₹ 10 लाख से कम मूल्य की आठ आवासीय भवन योजनाएं थी। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों अनुसार इनसे अग्रिम उपकर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं थी।

[8] एक मामले में उपकर ₹ 6.16 लाख (यूएलबी द्वारा प्रदान की गई सूचना से) और शेष 15 मामलों में, ₹ 2.18 लाख (अनुमानित निर्माण लागत के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा परिकलित, जिसका निर्धारण श्रम विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्माण की न्यूनतम लागू दर को निर्माण के निर्मित क्षेत्र जिसकी अनुमति दी गई थी, के साथ गुणा करके किया गया)।

[9] धौलपुरः पांच परियोजनाओं में ₹ 0.38 करोड़, जयपुरः एक परियोजना में ₹ 0.17 करोड़, कोटाः 11 परियोजनाओं में ₹ 4.27 करोड़।

4.2.3 चेक के माध्यम से उपकर संग्रहण

उपकर नियमों के नियम 4 में यह निर्धारित किया गया है कि बोर्ड को देय उपकर/अग्रिम उपकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाया जाएगा।

हालांकि, श्रम विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान चेक के माध्यम से अग्रिम उपकर प्राप्त किया गया। यद्यपि, यह भी पाया गया कि भुगतान के लिए ₹ 11.36 करोड़[10] की राशि के 126 चेक अनादरित हुए।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, श्रम विभाग ने अवगत (जुलाई 2023) कराया कि ₹ 2.28 करोड़ वसूल किए गए हैं लेकिन ₹ 9.08 करोड़[11] वसूल किया जाना शेष है। शेष उपकर की वसूली के लिए संबंधित स्थापनों को नोटिस जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि श्रम विभाग को चेक के अनादरण के मामलों से बचने के लिए उपकर नियमों के नियम 4 की अनुपालना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

4.3 उपकर का हस्तांतरण

4.3.1 मण्डल की कल्याण निधि में उपकर का प्रेषण

उपकर नियमों के नियम 5(3) के अनुसार श्रम विभाग द्वारा स्थापनों से संग्रहित उपकर की राशि को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर मण्डल निधि में हस्तांतरित करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में उपकर संग्राहकों द्वारा एकत्र किए गए उपकर को पहले राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष (0230-800-06) में जमा किया गया था और फिर आरबीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में हस्तांतरित कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित की गई भवन योजनाओं में चयनित 78 में से 47 भवन योजनाओं के अनुमोदन के दौरान संग्रहित ₹14.43 लाख का अग्रिम उपकर[12], राज्य सरकार के राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया गया था और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के पास पड़ा हुआ था।

---

[10] 2017-18: ₹ 4.15 करोड़, 2018-19: ₹ 4.44 करोड़, 2019-20: ₹ 1.96 करोड़, 2020-21: ₹ 0.75 करोड़ एवं 2021-22: ₹ 0.06 करोड़।

[11] 2017-18: ₹ 3.22 करोड़, 2018-19: ₹ 3.72 करोड़, 2019-20: ₹ 1.80 करोड़ एवं 2020-21: ₹ 0.34 करोड़।

[12] लेखापरीक्षा ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित 78 भवन योजनाओं का चयन किया। इन 78 प्रकरणों में से, 70 मामलों में अग्रिम उपकर जमा करना था। इन 70 प्रकरणों में से, 16 प्रकरणों में ₹ 8.34 लाख का अग्रिम उपकर संग्रहित नहीं किया गया, ₹ 14.43 लाख का अग्रिम उपकर संग्रहित किया गया परन्तु जमा नहीं कराया गया। 47 प्रकरणों में से, 6 प्रकरणों में ₹ 4.57 लाख का अग्रिम उपकर संग्रहित कर राजस्व मद में जमा कराया गया और एक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि श्रम विभाग ने अधिनियम के दायरे में आने वाले स्थापनों की पहचान करने के उद्देश्य से लक्षित सर्वेक्षणों को करवाया जाना सुनिश्चित नहीं किया। वर्ष 2019-22 के दौरान, 1,74,000 सर्वेक्षणों के लक्ष्य के विपरीत राज्य स्तर पर केवल 60,590 (34.82 प्रतिशत) सर्वेक्षण किए गए थे। इसके अलावा, उपकर संग्रहण से संबंधित मुख्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसमें निर्धारण आदेश जारी किये जाने का अभाव और उपकर के निर्धारण हेतु निर्माण लागत की गणना के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित पद्धति का अभाव शामिल है।

उपकर की वसूली न होने और कम वसूली के प्रकरण प्रभावी उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा अपर्याप्त निगरानी की ओर संकेत करते हैं। उपकर नियमों का उल्लंघन करते हुए अग्रिम उपकर डिमांड ड्राफ्ट के बजाय चेक के माध्यम से प्राप्त किया गया, जो कि अनादरित हो गए और परिणामस्वरूप ₹ 9.08 करोड़ का उपकर अप्राप्त रहा।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, राज्य सरकार के राजस्व मद में ₹ 2,002.43 करोड़ का उपकर संग्रहित किया गया था और ₹ 1,789 करोड़ का उपकर तीन से 22 महीने की देरी के साथ मण्डल को हस्तांतरित किया गया था।

अनुशंसा 3: श्रम विभाग को निर्माण लागत का निर्धारण करने के लिए व्यापक, मापनीय और सत्यापन योग्य मानदंडो को तैयार कर अंगीकरण करना चाहिए जिससे उपकर निर्धारण में एकरूपता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके।

अनुशंसा 4: श्रम विभाग को उपकर संग्रहण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारण आदेशों के अनुसार उपकर का समयबद्ध और सटीक संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत करना चाहिए।

अध्याय V

सन्निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मापदण्ड और उनकी अनुपालना

अध्याय V

सन्निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण मापदण्ड और उनकी अनुपालना

5.1 परिचय

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम (धारा 38 से 41 तक) द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कार्यों में लगे कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए थे, जिसमें राज्य सरकार की सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए नियम (धारा 40 के अनुसार) बनाने की शक्तियां भी शामिल हैं। आरबीओसीडब्ल्यू नियमों (अध्याय XI) में बीओसी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए श्रमिकों को शोर, धूल, गैसों, अग्नि आदि के हानिकारक प्रभावों से बचाने, सुरक्षा जूते, सुरक्षा बेल्ट, हेलमेट और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि के प्रावधान शामिल थे। प्रावधानों में, नियोजन के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा समितियों का गठन, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, आवश्यक उपकरण और यंत्र प्रदान किया जाना भी शामिल था।

स्थापनों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति तैयार करने, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों के निरीक्षण, इन निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई और श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत स्थापनों के निरीक्षण से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

5.2 स्थापनों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति बनाये जाने का अभाव

आरबीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 का नियम 82 प्रावधान करता है कि पचास या अधिक सन्निर्माण श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक स्थापन को भवन श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नीति का एक लिखित विवरण तैयार करना होगा और उसे मुख्य निरीक्षक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ स्थापन की भवन श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के प्रति मंशा और प्रतिबद्धता, पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों पर इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों के आंकलन के लिए तकनीकों और पद्धतियों तथा सुधारात्मक उपाय, भवन सन्निर्माण श्रमिकों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों या शामिल अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था को शामिल करना था।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य में वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान 749 स्थापन पंजीकृत हुए थे (चयनित पांच जिलों में 311 स्थापन), जिन्होनें 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित किया था, परन्तु इनमें से किसी भी स्थापन ने मुख्य निरीक्षक, कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग को भवन श्रमिकों के संबंध में नीति का कोई लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। लिखित नीति के अभाव में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा श्रम निरीक्षकों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किए गए 27 चयनित स्थापनों (12 पंजीकृत और 15 अपंजीकृत) में से आठ स्थापनों में 50 या अधिक श्रमिक कार्यरत थे। इनमें से केवल तीन स्थापनों ने भवन श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में नीति का लिखित विवरण तैयार किया था परन्तु इसे मुख्य निरीक्षक, एफबीआईडी को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मुख्य निरीक्षक, एफबीआईडी ने अवगत (जुलाई 2023) कराया कि किसी भी स्थापन द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इससे यह इंगित होता है कि स्थापन द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा नीति के निर्माण से संबंधित प्रावधान की अनुपालना श्रम विभाग और एफबीआईडी दोनों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा रही थी।

5.3 सुरक्षा समिति का गठन और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों का नियम 251, प्रत्येक स्थापन, जहां सामान्यतः 500 या इससे अधिक भवन श्रमिक नियोजित हों, में एक सुरक्षा समिति का गठन और एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। सुरक्षा समिति का मुख्य कार्य निर्माण कार्य में दुर्घटना के संभावित कारणों और असुरक्षित कार्यों की पहचान करना और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य में 80 स्थापन पंजीकृत हुए थे, जिनमें 500 या अधिक श्रमिक कार्यरत थे। इन 80 स्थापनों में सुरक्षा समिति के गठन और सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में राज्य स्तर पर कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, इन 80 में से 16 स्थापन नमूना जाँच किए गए तीन जिलों में पंजीकृत पाए गए। नमूना जाँच किए गए जिलों में भी इन 16 स्थापनों में सुरक्षा समिति के गठन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी न तो जिला स्तर पर और न ही राज्य स्तर पर उपलब्ध थी।

राज्य सरकार ने प्रत्युत्तर में अवगत (दिसंबर 2023) कराया कि श्रम विभाग से स्थापनों की सूची प्राप्त की जाएगी और इन स्थापनों में निरीक्षण किया जाएगा।

5.4 स्थापनों का निरीक्षण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 43 श्रम विभाग के निरीक्षकों को किसी भी स्थापन के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार देती है, जहां निर्माण कार्य किया जा रहा हो। इस तरह के निरीक्षण अपंजीकृत बीओसी श्रमिकों की पहचान करने, कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना की जानकारी और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अन्य प्रावधानों के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं।

राजस्थान में, सन्निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के निरीक्षण का कार्य एफबीआईडी को सौंपा (नवंबर 2010) गया था।

5.4.1 एफबीआईडी द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधानों का निरीक्षण

(i) लक्ष्य की तुलना में निरीक्षणों में कमी

सन्निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों के प्रवर्तन का कार्य एफबीआईडी को सौंपा (नवंबर 2010) गया था। एफबीआईडी को जिम्मेदारी सौंपने के आठ साल (अगस्त 2019) बाद, निरीक्षण करने के लिए प्रत्येक निरीक्षक के लिए प्रति माह पांच निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 4,005 निरीक्षणों के लक्ष्य के विरूद्ध, राज्य में मात्र 553 निरीक्षण[1] (14 प्रतिशत) ही किए गए, जबकि नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में वर्ष 2019-22 के दौरान 1,525 के लक्ष्य की तुलना में केवल 239 निरीक्षण[2] (16 प्रतिशत) ही किए गए।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि वर्ष 2019-22 के दौरान, एफबीआईडी द्वारा राज्य के 13[3] जिलों में कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था। इसके अलावा, उपरोक्त 13 में से 11 जिलों (झालावाड़ और बारां के अतिरिक्त) में, स्थापनों और पात्र बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अन्य प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग द्वारा भी कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।

राजस्थान सरकार ने अवगत (दिसंबर 2023) कराया कि निरीक्षकों के पद रिक्त होने और शेष निरीक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-22 की अवधि के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के लिए कोविड महामारी को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि निरीक्षकों को मानदंडों के अनुसार निरीक्षण करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध राज्य में मात्र 14 प्रतिशत निरीक्षण ही किए गए थे, जो एफबीआईडी में नियुक्त निरीक्षकों की संख्या (संस्वीकृत क्षमता का 71 प्रतिशत) के अनुपात में नहीं थे।

(ii) निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाए गए मुद्दों की अनुपालना

एफबीआईडी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए स्थापनों का निरीक्षण करता है और दोषी स्थापनों को नोटिस जारी करता है। निरीक्षण के 15 दिनों के भीतर नियोजकों द्वारा नोटिसों की अनुपालना प्रस्तुत की जानी थी।

---

[1] 2019-20: 308 निरीक्षण (945 निरीक्षणों के विरूद्ध), 2020-21: 155 निरीक्षण (1,560 निरीक्षणों के विरूद्ध) एवं 2021-22: 90 निरीक्षण (1,500 निरीक्षणों के विरूद्ध)।

[2] 2019-20: 120 निरीक्षण (385 निरीक्षणों के विरूद्ध), 2020-21: 75 निरीक्षण (600 निरीक्षणों के विरूद्ध) एवं 2021-22: 44 निरीक्षण (540 निरीक्षणों के विरूद्ध)।

[3] झुंझुनू, दौसा, झालावाड़, जैसलमेर, भरतपुर, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, चूरू, डूंगरपुर, धौलपुर, करौली तथा प्रतापगढ़।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2019-22 के दौरान, एफबीआईडी द्वारा किए गए 553 निरीक्षणों में से 387 प्रकरणों में कमियां पायी गईं थी, लेकिन एफबीआईडी द्वारा 148 प्रकरणों में (38 प्रतिशत) स्थापनों को अनुपालना के लिए नोटिस जारी नहीं किए गए। इसके अलावा, जिन 239 स्थापनों को नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 212 स्थापनों द्वारा अनुपालना प्रस्तुत नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (दिसंबर 2023) कि शेष 212 स्थापनों से अनुपालना प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में एफबीआईडी के 239 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 55 निरीक्षण प्रतिवेदन नमूना जाँच हेतु चयन किए और पाया कि इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निम्नलिखित कमियां बताई गई थीं:-

(i) पांच स्थापनों में सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध नहीं थे, (ii) सात स्थापनों में सुरक्षा जाल (नेट) उपलब्ध नहीं थे, (iii) 15 स्थापनों में काम के दौरान सुरक्षा सावधानियों के बारे में सूचना पट्ट उपलब्ध नहीं था, (iv) 17 स्थापनों में मजदूरी की सूचना प्रदर्शित नहीं की गई थी और (v) छह स्थापनों में सुरक्षा हेलमेट प्रदान नहीं किए गए थे। तथापि, एफबीआईडी द्वारा इन स्थापनों के नियोजकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

राजस्थान सरकार ने अपने उत्तर (दिसंबर 2023) में बताया कि प्रावधानों के अनुपालन में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में अनुपालना करने के लिए स्थापनों के नियोजकों को निरीक्षण के समय निर्देश दिए गए थे। हालांकि, स्थापनों द्वारा किए गए अनुपालन की जानकारी लेखापरीक्षा को नहीं दी गई।

(iii) चयनित स्थापनों का भौतिक निरीक्षण

लेखापरीक्षा ने श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों के प्रवर्तन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से 27 स्थापनों[4] का भौतिक निरीक्षण किया और पाया कि:

- 5 प्रकरणों (19 प्रतिशत) में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध नहीं थे।
- 11 प्रकरणों (41 प्रतिशत) में सुरक्षा जाल उपलब्ध नहीं था।
- 2 प्रकरणों (7 प्रतिशत) में सुरक्षा हेलमेट और मास्क उपलब्ध नहीं थे।
- 9 प्रकरणों (33 प्रतिशत) में पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

राज्य सरकार ने उत्तर (दिसंबर 2023) दिया कि अनुपालना प्राप्त करने के लिए इन स्थापनों में निरीक्षण किया जाएगा।

[4] पंजीकृत स्थापनः 12 और अपंजीकृत स्थापनः 15

5.4.2 श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत स्थापनों का निरीक्षण

राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रम निरीक्षक के लिए पंजीकृत स्थापनों के प्रति माह दो निरीक्षणों का लक्ष्य निर्धारित (27 मई 2016) किया था। इस तरह के निरीक्षण से अपंजीकृत बीओसी श्रमिकों की पहचान करने और बीओसीडब्ल्यू अधिनियम (स्वास्थ्य और सुरक्षा को छोड़कर) के अन्य प्रावधानों के क्रियान्वन में मदद मिलती है। राज्य और चयनित जिलों में लक्ष्यों के विरुद्ध किए गए निरीक्षणों का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1: श्रम निरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों के लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष	राज्य			जयपुर			धौलपुर			करौली			कोटा			जोधपुर		
	एन	टी	ए (% में)	एन	टी	ए (% में)	एन	टी	ए (% में)	एन	टी	ए (% में)	एन	टी	ए (% में)	एन	टी	ए (% में)
2017-18	95	2,280	33 (1.45)	3	72	0	2	48	0	1	24	0	4	96	0	4	96	0
2018-19	118	2,832	420 (14.83)	20	480	54	2	48	0	1	24	0	6	144	0	8	192	0
2019-20	111	2,664	272 (10.21)	14	336	11	1	24	0	1	24	0	5	120	0	8	192	0
2020-21	90	2,160	131 (6.06)	17	408	0	1	24	0	1	24	0	4	96	0	3	72	0
2021-22	89	2,136	20 (0.94)	19	456	0	1	24	0	1	24	0	3	72	0	7	168	0
कुल		**12,072**	**876 (7.26)**		**1,752**	**65**		**168**	**0**		**120**	**0**		**528**	**0**		**720**	**0**

एन- तैनात श्रम निरीक्षकों की कुल संख्या; **टी (लक्ष्य)**- {(तैनात श्रम निरीक्षक की संख्या) x (2 निरीक्षण/माह) x (12 महीने)} और **ए**-उपलब्धियां

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य में लक्षित 12,072 निरीक्षणों के विपरीत मात्र 876 निरीक्षण (7.26 प्रतिशत) ही किए गए थे।
- वर्ष 2017-22 के दौरान नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में से चार जिलों[5] में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- जयपुर में, दो वर्षों (वर्ष 2018-20) में मात्र 65 निरीक्षण किए गए थे। 65 निरीक्षणों में से 10 (15 प्रतिशत) निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि इन 10 निर्माण स्थलों पर 149 श्रमिक कार्यरत थे, लेकिन कोई भी श्रमिक पंजीकृत नहीं था।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-22 के दौरान, 20 जिलों में 828 स्थापन पंजीकृत किए गए थे, लेकिन इन जिलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था। इसलिए, श्रमिकों के पंजीकरण और निर्माण स्थल पर उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि स्वीकृत पदों के विरूद्ध मात्र 74 श्रम निरीक्षक ही पदस्थापित थे और उन्हें श्रम संबंधी सभी अधिनियमों और कानूनों के निष्पादन का कार्य आवंटित किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है कि वर्तमान उपलब्ध श्रम निरीक्षकों की संख्या के आधार पर निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में किए गए निरीक्षणों की संख्या काफी कम रही।

[5] धौलपुर, करौली, कोटा एवं जोधपुर।

5.5 दुर्घटनाओं की सूचना प्रदान करने का अभाव

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के नियम 253 के अनुसार, यदि कोई दुर्घटना किसी सन्निर्माण श्रमिक को 48 घंटे या उससे अधिक के लिए अपंग कर देती है, तो ऐसी दुर्घटना की सूचना नियोजक द्वारा, जानलेवा दुर्घटना के मामले में चार घंटे और अन्य दुर्घटना के मामले में 72 घंटों के भीतर, निर्धारित प्रारूप में श्रम विभाग के विभिन्न अधिकारियों को भेजी जानी चाहिये। साथ ही, स्थापनों को वर्ष के दौरान हुई दुर्घटनाओं की सूचना वार्षिक प्रतिवेदन में पंजीकरण अधिकारी को भी भेजा जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के किसी भी नियोजक से निर्माण स्थल पर हुई दुर्घटनाओं की जानकारी या दुर्घटनाओं की जानकारी देने वाला वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त सूचना के अभाव में, विभाग दुर्घटना के कारणों की जाँच नहीं कर सकता और यदि आवश्यक हो तो नियोजक के विरुद्ध कोई कार्रवाई भी प्रारम्भ नहीं कर सकता है।

बीओसीडब्ल्यू मण्डल ने उत्तर में अवगत (अगस्त 2024) कराया कि नियम 253 के तहत, नियोजक श्रम विभाग को दुर्घटनाओं की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कानूनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए नियोजक ऐसी जानकारी प्रदान नहीं करते हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि श्रम विभाग को दुर्घटनाओं के प्रकरणों की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुर्घटनाओं के प्रकरणों में बीओसी श्रमिकों को उचित लाभ प्राप्त हो और दोषी स्थापनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी स्थापन ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य निरीक्षक को सन्निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर नीति का लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया। एफबीआईडी और श्रम विभाग द्वारा लक्षित संख्या में निरीक्षण नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, एफबीआईडी ने निरीक्षण किए गए उन सभी स्थापनों, जिनमें कमियां पाई गई थीं, को अनुपालना हेतु नोटिस जारी नहीं किए थे। जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए थे, उनमें 89 प्रतिशत स्थापनों ने अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। पंजीकृत स्थापनों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में निर्माण स्थलों पर निर्धारित सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों की पालना में कमियां पायी गयी।

अनुशंसा 5: श्रम विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं के जोखिम को कम किया जा सके तथा बीओसी श्रमिकों की बेहतर सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।

अनुशंसा 6: राज्य सरकार को बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत अनुपालन की निगरानी के लिए विशेष रूप से समर्पित निरीक्षकों की भर्ती करने पर विचार करना चाहिए, ताकि बीओसी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा मिल सके।

अध्याय VI

वित्तीय प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

अध्याय VI

वित्तीय प्रबंधन और कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

6.1 वित्तीय प्रबंधन

6.1.1 निधि का उपयोग

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 24 के अनुसार मण्डल को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने व्यय को पूरा करने के लिए "भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि" नामक एक निधि की स्थापना करनी थी। केंद्र सरकार द्वारा मण्डल को दिए गए किसी भी अनुदान या ऋण, लाभार्थियों द्वारा दिए गए सभी अंशदानों और केंद्र सरकार द्वारा तय किये गए किसी ऐसे स्रोत से मण्डल को प्राप्त सभी राशियों को इस निधि में जमा किया जाना था। इस निधि का उपयोग बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 22 के तहत अपने कार्य के निर्वहन करने, मण्डल के व्ययों को पूरा करने, मण्डल के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक एवं बीओसीडब्ल्यू अधिनियम द्वारा अधिकृत लक्ष्यों और उद्देश्यों पर व्यय के लिए किया जाना था।

कल्याण निधि के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत निर्माण करने वाले स्थापनों से संग्रहित उपकर राशि है। पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिको से प्राप्त अंशदान और मण्डल द्वारा किये गये निवेश पर प्राप्त ब्याज इसके अन्य स्रोत हैं। यह निधि मुख्य रूप से बीओसी श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए लागू विभिन्न योजनाओं पर व्यय की जाती है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के दौरान कल्याण निधि में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण **तालिका 6.1** में वर्णित है।

तालिका 6.1: वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए मण्डल की कल्याण निधि में प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति			कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय				अंतिम शेष (प्रतिशत में)
		संग्रहित उपकर	अर्जित ब्याज	पंजीकरण शुल्क और अन्य प्राप्तियां		योजनाओं पर (प्रतिशत में)	प्रशासनिक	अन्य व्यय	कुल	
2017-18	946.24	342.69	52.78	2.24	1,343.95	370.34 (27.56)	5.84	-	376.18 (27.99)	967.77 (72.01)
2018-19	967.77	338.60	38.75	1.70	1,346.82	417.86 (31.02)	8.77	-	426.63 (31.68)	920.19 (68.32)
2019-20	920.19	382.59	18.89	0.30	1,321.97	335.36 (25.37)	11.11	328.50[1]	674.97 (51.06)	647.00 (48.94)
2020-21	647.00	357.56[2]	7.44	0.61	1,012.61	324.22 (32.02)	12.39	-	336.61 (33.24)	676.00 (66.76)
2021-22	676.00	367.55	7.54	0.72	1,051.81	211.44 (20.15)	11.10	-	222.54 (21.16)	829.27 (78.78)
कुल		**1,788.99**	**125.40**	**5.57**		**1,659.22**	**49.21**		**2,036.93**	

स्रोतः मण्डल द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।

[1] कोविड-19 महामारी के कारण बीओसी श्रमिकों पर व्यय के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को ₹ 328.50 करोड़ प्रदान किए गए।

[2] यद्यपि वर्ष 2019-20 के दौरान उपकर का संग्रहण ₹ 412.82 करोड़ था, लेकिन वित्त विभाग, राज्य सरकार ने कोविड-19 के दौरान बीओसी श्रमिकों पर व्यय किये जाने के कारण राशि रुपये ₹ 55.26 करोड़ की कटौती की और शेष ₹ 357.56 करोड़ वर्ष 2020-21 में हस्तांतरित किए।

उपरोक्त **तालिका 6.1** से स्पष्ट है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उपलब्ध निधियों की तुलना में व्यय 21.16 प्रतिशत से 51.06 प्रतिशत के मध्य रहा । वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक के दौरान ₹ 2,036.93 करोड़ के कुल व्यय में से, कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय ₹ 1,659.22 करोड़ किया गया था । यह भी स्पष्ट है कि उपकर संग्रहण में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही, जबकि कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए व्यय में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी । सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा प्रमाणित मण्डल के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं के अनुसार, मार्च 2022 तक बैंकों में सावधि जमा में ₹ 233.49 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था ।

राज्य सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय प्राप्त उपकर राशि से अधिक था । वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण व्यय राशि कम थी । वर्ष 2021-22 में, व्यय कम रहा, क्योंकि तीन योजनाओं[3] पर प्रतिबंध के कारण लाभ इनके अंतर्गत स्थगित कर दिए गए थे ।

6.1.2 वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

आरबीओसीडब्ल्यू नियमों के नियम 53 के अनुसार, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान मण्डल के कामकाज पर एक वार्षिक प्रतिवेदन उस वर्ष के 31 जुलाई से पूर्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मण्डल द्वारा वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को समय पर प्रस्तुत किया था, लेकिन वर्ष 2018-19 से 2021-22 का वार्षिक प्रतिवेदन पांच से 18 महीने की देरी के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया । इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे ।

श्रम विभाग ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2024) में अवगत कराया कि राज्य सरकार को प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति भारत सरकार को भी भेजी जाती है । तथापि, भारत सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से सम्बंधित कोई पुष्टिकारी साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया । श्रम विभाग ने देरी के संबंध में तथ्यों को स्वीकार करते हुये यह अवगत (अक्टूबर 2024) कराया कि कभी-कभी जिला स्तरीय कार्यालयों से वांछित सूचनाएं देरी से प्राप्त होती है और सूचनाओं को समेकित करने एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने में समय लगता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवेदन देरी से प्रस्तुत किए गए ।

---

[3] शुभ शक्ति योजना, सुलभ्य आवास योजना और सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना ।

6.1.3 वार्षिक लेखे तैयार करना

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित आरबीओसीडब्ल्यू नियमों का नियम 49(2) यह प्रावधान करता हैं कि मण्डल को प्रति वर्ष 15 मार्च तक भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के वार्षिक लेखाओं को सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा प्रमाणित किया गया था, लेकिन उन्हें मण्डल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया । इसलिए, इन लेखाओं की कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी । परिणामस्वरूप, राज्य सरकार को लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किए जा सके । समापन परिचर्चा (जून 2024) के दौरान, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल के सचिव ने अवगत कराया कि वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के वार्षिक लेखाओं को तैयार कर लिया गया हैं एवं इन्हें मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा तथा लेखाओं को जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा । हालाँकि, जनवरी 2025 तक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखाओं का अनुमोदन नहीं किया गया था ।

6.2 बीओसी श्रमिक कल्याण योजनाएं

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम, 1996 की धारा 22 के अनुसार मण्डल के कार्यों में, अन्य कार्यों के अलावा, दुर्घटना की स्थिति में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करना, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करना, मकान के निर्माण के लिए ऋण और अग्रिम की मंजूरी देना, लाभार्थियों के लिए समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान करना, बच्चों की शिक्षा के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देना, प्रमुख बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय देना, महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ प्रदान करना शामिल था । मण्डल उपरोक्त वर्णित कार्यों के अनुसार लाभ प्रदान करने के लिए 13 योजनाओं का संचालन कर रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों को मण्डल में लाभार्थियों के रूप में खुद को पंजीकृत करवाना होगा और एलडीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता हैं ।

6.2.1 कल्याण योजनाओं के तहत बीओसी श्रमिकों को संरक्षण

वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बीओसी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए आठ योजनाएं[4] संचालित थीं । इसके अतिरिक्त, मण्डल द्वारा दिसंबर 2020

[4] शिक्षा और कौशल विकास योजना, सुलभ्य आवास योजना, जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना, शुभ शक्ति योजना, प्रसूति सहायता योजना, सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना, सिलिकोसिस योजना एवं निर्माण श्रमिक टूल किट योजना ।

से पांच अन्य योजनाएं[5] भी लागू की गईं। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकृत लाभार्थियों और लाभान्वित श्रमिकों की संख्या **तालिका 6.2** में वर्णित है।

तालिका 6.2: कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	19.34	24.96	25.68	27.94	30.10
लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या (लाख में)	1.31 (6.77%)	1.85 (7.41%)	1.79 (6.97%)	1.17 (4.19%)	0.64 (2.13%)
भुगतान की गई राशि[6] (₹ करोड़ में)	290.94	424.87	308.04	238.08	133.92

स्रोतः श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या) और उपयोगिता प्रमाण-पत्र (लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या और भुगतान की गई राशि)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के मध्य औसतन सात प्रतिशत पंजीकृत लाभार्थियों ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। हालांकि, यह वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः चार प्रतिशत और दो प्रतिशत तक घट गया (**तालिका 6.2** के अनुसार)।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त सचिव ने अवगत (नवंबर 2022) कराया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में गिरावट वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूरे देश में कोविड महामारी और सरकारी कार्य में व्यवधान लॉकडाउन के कारण थी।

मण्डल ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना जाँच की गई आठ योजनाओं पर ₹ 1,392.47 करोड़ रुपये (कुल व्यय का 68.36 प्रतिशत) का व्यय किया गया जैसा कि **तालिका 6.3** में वर्णित है।

---

[5] व्यवसाय के लिए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बीओसी श्रमिकों या उसके आश्रित के लिए प्रोत्साहन योजना, आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश पर ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, विदेश में रोजगार के लिए वीजा प्राप्त करने पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए प्रोत्साहन योजना।

[6] **तालिका 6.1** में दिए गए आंकड़े मण्डल के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित हैं और **तालिका 6.2** में दिए गए आंकड़े जिला कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर आधारित हैं।

तालिका 6.3: वर्ष 2017-22 के दौरान योजनावार लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान की गई लाभ की राशि (₹ लाख में)
1	शिक्षा और कौशल विकास योजना	5,41,271	52,668.86
2	सुलभ्य आवास योजना	1,417	2,086.58
3	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	233	0.68
4	शुभ शक्ति योजना	54,192	29,045.71
5	प्रसूति सहायता योजना	38,314	7,422.72
6	सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना	22,932	37,986.22
7	सिलिकोसिस योजना	4,904	9,748.03
8	निर्माण श्रमिक टूल किट योजना	13,279	287.94
कुल		**6,76,542**	**1,39,246.74**

तालिका 6.3 यह दर्शाती है कि शिक्षा और कौशल विकास योजना में लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक (5.41 लाख) थी, जिसमें लाभार्थियों को राशि ₹ 526.69 करोड़ का कुल लाभ प्रदान किया गया था।

6.2.2 योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों पर कार्यवाही

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग का प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार जो पिछले बारह महीनों के दौरान कम से कम नब्बे दिनों की अवधि के लिए किसी भी भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य पर नियोजित रहा हैं, वह बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है।

सितंबर 2016 से, श्रमिकों को एलडीएमएस नामक एक समर्पित पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। निर्माण श्रमिक आमतौर पर सरकार द्वारा अधिकृत साइबर कियोस्क, जो नागरिकों को ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान कराते हैं जैसे- ई-मित्र[7] के माध्यम से पोर्टल का उपयोग करते हैं। मण्डल द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को एलडीएमएस पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

योजनाओं के क्रियान्वयन की जाँच के लिए, लेखापरीक्षा ने श्रम विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत बीओसी श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही और इसकी अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति की जाँच की। लेखापरीक्षा द्वारा चयनित जिलों में आठ कल्याणकारी योजनाओं के तहत 520 स्वीकृत आवेदनों और 240 अस्वीकृत आवेदनों की नमूना जाँच की गयी। श्रम विभाग द्वारा इन आवेदनों के निस्तारण में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी हैं।

[7] ई-मित्र राजस्थान सरकार की एक पहल है, जिसे राज्य में नागरिकों को ई-प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक ही छत के नीचे सरकारी और निजी क्षेत्रों की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा और पारदर्शिता के लिए राज्य में लागू किया गया है।

6.2.2.1 आवेदनों की अस्वीकृति

राज्य में प्राप्त आवेदनों की संख्या और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या (सितंबर 2022 तक) की योजनावार स्थिति ***परिशिष्ट 6.1*** में वर्णित है और आठ कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की समेकित संख्या को ***चार्ट 6.1*** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1: वर्ष 2017-22 के दौरान आठ योजनाओ के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की स्थिति

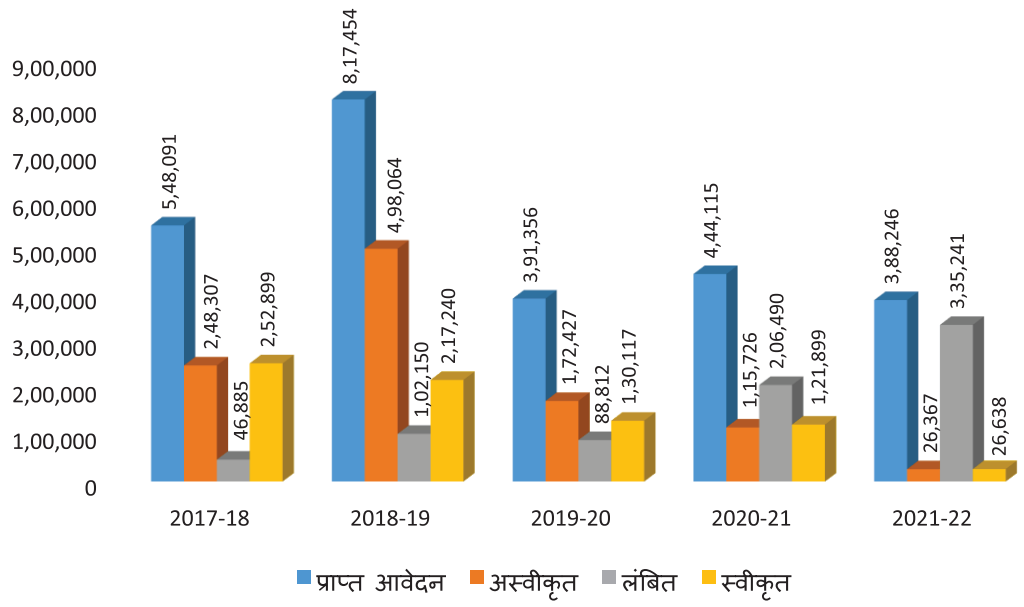

वर्ष 2017-22 के दौरान 25.89 लाख आवेदन प्राप्त हुए, इसमें से 10.61 लाख आवेदन (औसतन 41 प्रतिशत) अस्वीकृत कर दिए गए थे। अप्रैल 2017 से मार्च 2020 के दौरान आवेदनों की अस्वीकृति दर (44 प्रतिशत से 61 प्रतिशत) अधिक रही। कोविड अवधि के दौरान अस्वीकृति दर काफी कम अर्थात 26 प्रतिशत (वर्ष 2020-21) और 7 प्रतिशत (वर्ष 2021-22) रही।

(i) आवेदनों को अस्वीकृत करने में मनमानी

चयनित 240 अस्वीकृत आवेदनों की जाँच में पाया गया है कि विभाग द्वारा आवेदनों को मनमाने और गैर-पारदर्शी तरीके से अस्वीकृत किया गया, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- लेखापरीक्षा में पाया गया कि 45 प्रतिशत आवेदनों (107) को आवश्यक दस्तावेज जैसे संवेदक से नियोजन का प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, पंजीकरण की प्रति, आदि प्रस्तुत नहीं करने के कारण निरस्त किया गया। इनमे से 16 मामलों में, आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज या तो पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके थे या बाद में प्रस्तुत कर दिए गए थे, फिर भी आवेदन स्वीकृत नहीं किए गए (विवरण ***परिशिष्ट 6.2*** में है)।

- 26 आवेदनों को आवेदक से तीन से 12 बार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद अस्वीकृत किया गया। हालांकि, नौ आवेदनों को एक महीने से अधिक समय तक लंबित रखने के बाद, आवेदकों से कोई स्पष्टीकरण मांगे बिना, अस्वीकृत कर दिया गया। इनमें से छह प्रकरणों को तीन महीने से अधिक समय तक लंबित रखा गया।

- एक प्रकरण में, अस्वीकृति के लिए किसी भी कारण का उल्लेख नहीं किया गया था।

- पांच प्रकरणों में, विभाग ने अवगत कराया कि आवेदक भौतिक सत्यापन के दौरान पात्र नहीं पाये गये थे। हालांकि, पोर्टल पर भौतिक सत्यापन की कोई रिपोर्ट अपलोड नहीं पाई गई।

- 'निर्माण श्रमिक टूल किट योजना' के अंतर्गत उपकरणों की खरीद की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए आठ आवेदनों को अस्वीकृत किया गया था। इन्हें कैश मेमो में दुकानों के मोबाइल नंबर का उल्लेख नहीं पाए जाने के कारण निरस्त किया गया था। हालांकि, यह योजना के दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी।

- 'शिक्षा और कौशल विकास योजना' के अंतर्गत, डिप्लोमा कोर्स के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। एक प्रकरण में, यद्यपि, आवेदक ने 72 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे लेकिन उसे केवल छात्रवृत्ति संवितरित की गई थी और तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नकद पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था।

मुख्य रूप से आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना के तहत आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले मूल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और बैंक पासबुक की प्रति पंजीकरण के समय श्रमिकों द्वारा पहले से ही प्रस्तुत किए गए थे (***परिशिष्ट 6.3***)। प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए अनिवार्य दस्तावेजों को बार-बार प्रस्तुत करने की पुनरावृत्ति को सुव्यवस्थित किया जा सकता है।

राजस्थान सरकार ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया (नवंबर 2023)।

(ii) कमियों के बावजूद आवेदनों को स्वीकृत किया जाना

चयनित 520 स्वीकृत आवेदनों की लेखापरीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि इन आवेदनों को कमियां पाई जाने के उपरान्त भी स्वीकृत किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:

- नौ प्रकरणों में या तो श्रमिकों का कार्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था अथवा अनुपयुक्त कार्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि एक प्रकरण में उचित रूप में कार्य प्रमाण-पत्र (अर्थात सन्निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने के 90 दिनों या अवधि का उल्लेख करते हुए), प्रस्तुत करने के लिए चार बार स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद आवेदक ने वही कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड किया जो पहले प्रस्तुत किया गया था, फिर भी विभाग द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया।

आवेदकों की पात्रता और प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता के बावजूद, उपरोक्त आवेदनों को स्वीकृत किया गया और आवेदकों को लाभ प्रदान किया गया।

राजस्थान सरकार ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया (नवंबर 2023)।

6.2.2.2 आवेदनों पर कार्यवाही में विलम्ब

श्रम विभाग ने कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए बीओसी श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति से एक माह के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश (अगस्त 2016) जारी किए। आवेदन में कोई कमी होने पर, आवेदक से एसएमएस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। स्पष्टीकरण या पूरे दस्तावेज प्राप्त होने तक आवेदन को आवेदकों के स्तर पर लंबित दिखाया गया था। विभाग के स्तर पर प्रक्रियाधीन (लंबित) आवेदनों की संख्या ***तालिका 6.4*** में दर्शाई गयी है। (योजनावार ब्यौरा ***परिशिष्ट 6.4*** में दर्शाया गया है)।

तालिका 6.4: विभाग के स्तर पर 23 सितंबर 2022 तक लंबित आवेदनों की संख्या

वर्ष	आठ योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या	विभाग के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या (प्रतिशत में)	आवेदक के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या (प्रतिशत में)	कुल लम्बित आवेदनों की संख्या
2017-18	5,48,091	44,160 (8)	2,725 (0.50)	46,885
2018-19	8,17,454	79,877 (10)	22,273 (3)	1,02,150
2019-20	3,91,356	61,936 (16)	26,876 (7)	88,812
2020-21	4,44,115	1,87,543 (42)	18,947 (4)	2,06,490
2021-22	3,88,246	3,15,877 (81)	19,364 (5)	3,35,241
कुल	**25,89,262**	**6,89,393 (26.62)**	**90,185 (3.50)**	**7,79,578**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि सितंबर 2022 तक राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत 25.89 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग के स्तर पर लंबित 6.89 लाख आवेदनों में से, 1.86 लाख आवेदन (27 प्रतिशत) 30 महीने से अधिक समय से लंबित थे। लगभग 44,000 आवेदन साढ़े चार साल से अधिक समय से लंबित थे। आवेदनों पर कार्यवाही में इतना लंबा समय लगने के कारण श्रमिक समय पर लाभ, विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता से वंचित रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित 520 स्वीकृत आवेदनों में से, 292 (56 प्रतिशत) आवेदनों पर निर्धारित एक महीने की अवधि के बाद कार्रवाई की गई। इनमें से, 214 (41 प्रतिशत) आवेदनों पर दो महीने से अधिक की देरी के बाद कार्रवाई की गयी थी।

(i) लेखापरीक्षा द्वारा चयनित पांच जिलों में उन योजनाओं जिनमें तत्काल सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता थी जैसे 'सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना'

और 'प्रसूति सहायता योजना' के मामले में वर्ष 2017-22 के दौरान आवेदनों के निस्तारण में देरी की जाँच की।

- यह पाया गया कि 'सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना' के तहत प्राप्त 5,174 आवेदनों में से एक महीने के भीतर केवल 1.35 प्रतिशत आवेदकों को तत्काल सहायता प्रदान की गई।

- 'प्रसूति सहायता योजना' के तहत 7,918 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमे से एक माह के भीतर 11.45 प्रतिशत आवेदकों को ही तत्काल सहायता प्रदान की गई।

इसके अलावा, चयनित 520 स्वीकृत आवेदनों में से, 165[8] आवेदन इन योजनाओं से संबंधित थे, जिनमें लेखा परीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा 81[9] आवेदनों के मामले में पहली कार्रवाई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंतराल के बाद ही प्रारम्भ की गई थी।

(ii) लेखापरीक्षा ने आवेदकों के स्तर पर लंबित 80 आवेदनों का विश्लेषण किया और पाया कि 50 प्रकरणों (62 प्रतिशत) में, विभाग ने श्रमिकों को आवेदनों में विसंगतियों के बारे में सूचित करने में छह महीने से अधिक का समय लिया। तथ्य यह है कि 26 प्रकरणों (32 प्रतिशत) में तो दो साल से अधिक का समय लिया गया।

(iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में प्राप्त 4.83 लाख आवेदनों में से 11,778[10] आवेदनों में कोई मोबाइल नंबर नहीं था या डमी नंबरों (जैसे 1234567890, 9999999999 आदि) का उपयोग किया गया था। यह चिंता का विषय है क्योंकि आवेदनों की स्थिति/आवेदनों में कमी की जानकारी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से ही दी जाती है। आवेदकों को उनका आवेदन 'स्पष्टीकरण के लिए आवेदक के स्तर पर लंबित' होने की सूचना प्राप्त न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

राजस्थान सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि दिसंबर 2018 तक पंजीकरण और आवेदनों पर कार्यवाही का कार्य पंचायती राज विभाग के खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को आवंटित किया गया था। उनके द्वारा सभी लंबित आवेदनों को श्रम विभाग को लौटा दिया गया, जिससे लंबित आवेदनों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, 'शुभ शक्ति योजना' और 'सुलभ्य आवास योजना' के अंतर्गत संदिग्ध आवेदन भी पाये गए थे और आवेदनों के निपटान के लिए पर्याप्त मानवश्रम भी उपलब्ध नहीं था।

---

[8] सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजनाः 83 आवेदन और प्रसूति सहायता योजनाः 82 आवेदन।

[9] सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजनाः 39 आवेदन और प्रसूति सहायता योजनाः 42 आवेदन।

[10] 8,338 प्रकरणों में मोबाइल नंबर 9999999999; 324 प्रकरणों में मोबाइल नंबर 1234567890; 21 प्रकरणों में मोबाइल नंबर 0123456789; 30 प्रकरणों में मोबाइल नंबर 1234567891 और 3,065 प्रकरणों में कोई मोबाइल नंबर नहीं पाए गए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बीडीओ के पास लंबित आवेदन वापस कर दिए जाने के उपरांत भी विभागीय स्तर पर लंबित आवेदन वर्ष 2018-19 में केवल 10 प्रतिशत थे, जबकि यह वर्ष 2021-22 में तेजी से बढ़ कर 81 प्रतिशत हो गये।

6.2.2.3 आवेदनों की स्वीकृति के पश्चात भुगतान में देरी

राजस्थान सरकार के परिपत्र (अगस्त 2016) के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

चयनित 520 आवेदनों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 399 आवेदनों में भुगतान/स्वीकृत किए जाने की दिनांक का उल्लेख किया गया था। 142 आवेदनों (36 प्रतिशत) के प्रकरणों में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के 30 दिनों के बाद श्रमिकों को भुगतान वितरित किया गया था। इनमें से, 27 आवेदनों के प्रकरणों में, भुगतान छह माह से अधिक समय लेने के बाद संवितरित किया गया था।

6.2.3 योजनाओं का क्रियान्वयन

कुल 13 योजनाओं में से, लेखापरीक्षा ने आठ योजनाओं का चयन किया था और पाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

(अ) शिक्षा और कौशल विकास योजना

शिक्षा और कौशल विकास योजना को सन्निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों या एक बच्चे और उसकी पत्नी को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के उद्देश्य से जनवरी 2016 में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना में कक्षा VI से स्नातकोत्तर (व्यावसायिक)/आईटीआई में नियमित रूप से अध्ययनरत बच्चों को ₹ 8,000 से ₹ 25,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, कक्षा VIII से डिप्लोमा/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित स्नातकोत्तर तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहे मेधावी बच्चों[11] को प्रतिवर्ष ₹ 4,000 से ₹ 35,000 की नकद सहायता दिए जाने का प्रावधान था।

भारत सरकार ने निर्देश (अक्टूबर 2015) दिये कि प्राथमिक शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता धन की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मण्डल ने कक्षा I से V तक के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की, हालाँकि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान ₹ 647 करोड़ से ₹ 967.77 करोड़ तक की पर्याप्त राशि मण्डल के पास अव्ययित पड़ी हुई थी।

[11] मेधावी बच्चों का अर्थ है जिन्होंने कक्षा VIII से XII में 75 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हैं और डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत या उससे अधिक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किए हैं।

(ब) प्रसूति सहायता योजना

यह योजना महिला श्रमिकों अथवा पुरुष श्रमिकों की पत्नियों को मातृत्व सहायता प्रदान करने के लिए प्रारम्भ (अप्रैल 2011) की गई थी। यदि लाभार्थियों के पहले से ही दो या अधिक बच्चे हो या महिला लाभार्थियों की आयु प्रसव के समय 20 वर्ष से कम होने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना था।

यह पाया गया कि चयनित पांच जिलों में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान योजना के तहत 6,146 श्रमिक लाभान्वित हुए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 6,146 प्रकरणों में से 89 प्रकरणों में[12], आवेदन के समय महिला लाभार्थियों की आयु 20 वर्ष से कम थी। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में योजना के अंतर्गत चुने गये 82 स्वीकृत आवेदनों के आंकड़ों की समीक्षा से पता चला कि तीन प्रकरणों में लाभार्थियों के आवेदन करते समय दो या अधिक बच्चे थे। यह आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन करते समय यथोचित सावधानी की कमी को दर्शाता है।

(स) सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य सन्निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु (₹ दो लाख) अथवा दुर्घटना में मृत्यु (₹ पांच लाख) होने पर उसके नामित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दुर्घटना के कारण घायल होने के मामले में वित्तीय सहायता (देय लाभ घायल होने की सीमा पर निर्भर करता है) बीओसी श्रमिक को प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-22 के दौरान, इस योजना के तहत कुल 22,932 आवेदकों को ₹ 379.86 करोड़ रुपये से लाभान्वित किया गया था।

मण्डल के निर्देशानुसार (जनवरी 2019), मृत्यु सहायता को मंजूरी देने से पहले श्रम निरीक्षक द्वारा सभी मृत्यु प्रकरणों का भौतिक सत्यापन किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पांच जिलों में मृत्यु के 38 प्रकरणों की नमूना जाँच की और पाया कि 38 प्रकरणों में से 27 प्रकरणों[13] (71 प्रतिशत) में, मृत्यु के भौतिक सत्यापन के बिना ₹ 0.60 करोड़ की सहायता प्रदान की गई।

राजस्थान सरकार ने उत्तर में अवगत (नवंबर 2023) कराया कि जनवरी 2020 से मृत्यु के प्रकरणों में भुगतान से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि जोधपुर जिले में मृत्यु के प्रकरणों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

---

[12] धौलपुरः 1,145 प्रकरणों में से 5 प्रकरण (₹ 1.03 लाख), जयपुरः 2,147 प्रकरणों में से 13 प्रकरण (₹ 2.71 लाख), जोधपुरः 1,575 प्रकरणों में से 18 प्रकरण (₹ 3.69 लाख), करौलीः 1,279 प्रकरणों में से 53 प्रकरण (₹ 10.86 लाख) और कोटाः शून्य।

[13] धौलपुर जिले में 12 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में, जोधपुर जिले में छह प्रकरणों में से पांच प्रकरणों में, करौली जिले में 13 प्रकरणों में से 10 प्रकरणों में, कोटा जिले में छह प्रकरणों में से एक प्रकरण में और जयपुर जिले में केवल एक प्रकरण में।

था और तकनीकी समस्या के कारण धौलपुर एवं करौली जिलों द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई थी । संयुक्त श्रम आयुक्त, कोटा ने अवगत कराया कि सॉफ्टवेयर में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड करने का कोई प्रावधान नहीं था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनवरी 2019 में जारी निर्देशों में मृत्यु के प्रकरणों में भौतिक सत्यापन करने का स्पष्ट रूप से प्रावधान है । धौलपुर और करौली जिलों के संबंध में, हालांकि राजस्थान सरकार ने यह बताया कि तकनीकी समस्या के कारण भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अपलोड नहीं की जा सकी, लेकिन उसने अपने उत्तर के साथ उन जिलों में भौतिक सत्यापन किए जाने के दावे के समर्थन में भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत नहीं की ।

(द) सिलिकोसिस प्रभावित सन्निर्माण श्रमिकों को सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बलुआ पत्थर खनन गतिविधियों से क्रिस्टलीय सिलिका धूल के संपर्क में आने के कारण सिलिकोसिस रोग के कारण मृत्यु (₹ तीन लाख) या बीमारी (₹ दो लाख) के मामले में निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करना है । यह योजना आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल द्वारा 04 अगस्त 2021 तक कार्यान्वित की गई थी और उसके बाद, सभी लंबित आवेदनों को निदेशालय, विशेष योग्यजन में स्थानांतरित कर दिया गया था ।

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित पांच जिलों में 53 प्रकरणों, जहां लाभ दिए गए थे, की नमूना जाँच की गई और पाया कि 26 प्रकरणों (49 प्रतिशत) में आवश्यक दस्तावेज जैसे-चिकित्सा प्रमाण पत्र, मृत्यु सहायता के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र, कार्य प्रमाण पत्र आदि पोर्टल पर अपलोड नहीं पाए गए थे । सिलिकोसिस के चिकित्सा प्रमाण-पत्रों के अभाव में सिलिकोसिस प्रभावित श्रमिकों को सहायता के भुगतान की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं होती है ।

राज्य सरकार ने उत्तर में अवगत (नवंबर 2023) कराया कि निदेशालय, विशेष योग्यजन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) द्वारा सहायता प्रदान की जा रही थी और मण्डल केवल पंजीकृत श्रमिकों को किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति करता है ।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा अगस्त 2021 से पहले की अवधि से संबंधित प्रकरणों को इंगित किया गया था जिनमें श्रम विभाग ने आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए बिना सहायता को मंजूरी दी थी ।

(य) सुलभ्य आवास योजना

इस योजना के अंतर्गत, ₹ 1.50 लाख की सहायता उन श्रमिकों को दी जानी थी जो केन्द्र/राज्य की आवास योजनाओं के लिए पात्र थे । स्वयं की भूमि पर मकान के निर्माण के मामले में, निर्माण लागत के 50 प्रतिशत की राशि, अधिकतम ₹ 1.50 लाख तक दिए जाने का प्रावधान था । सहायता स्वीकृत करने से पूर्व श्रम निरीक्षक द्वारा 'सुलभ्य आवास योजना' के लाभार्थी और

उसके द्वारा प्रदान किए गए आवेदन के विवरणों का भौतिक सत्यापन आवश्यक रूप से करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान योजना के तहत औसतन 473 लाभार्थी लाभान्वित हुए, यद्यपि इस अवधि के दौरान 13,225 आवेदन प्राप्त हुए थे। हालांकि, वर्ष 2020-22 के दौरान, 1,760 प्राप्त आवेदनों में से किसी भी श्रमिक को लाभ नहीं दिया गया था। इन 1,760 आवेदनों में से, 370 आवेदन (21 प्रतिशत) निरस्त कर दिए गए थे, 1,247 आवेदन (71 प्रतिशत) विभाग के स्तर पर तथा 141 आवेदन (8 प्रतिशत) आवेदकों के स्तर पर लंबित थे।

राज्य सरकार ने उत्तर में अवगत (नवंबर 2023) कराया कि श्रमिकों द्वारा जाली दस्तावेजों के साथ योजना में आवेदन करने की शिकायतें मिलने के बाद योजना के तहत भुगतान रोक दिया गया था। लेखापरीक्षा का मत है कि दस्तावेजों के सत्यापन को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता है जिससे मात्र वास्तविक श्रमिक ही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

(र) कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदान की गई सहायता

भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कोविड-19 महामारी के कारण सन्निर्माण श्रमिकों को आये आर्थिक व्यवधानों के लिए सहायता और समर्थन प्रदान करने का अनुरोध (मार्च 2020) किया। निधियों का उपयोग उनके पास उपलब्ध उपकर निधि से किया जाना था। तदनुसार, श्रम एवं रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार ने उपकर निधि से ₹ 1,000 प्रति परिवार की तत्काल एकमुश्त सहायता प्रदान करने का आदेश जारी (मार्च 2020) किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोविड-19 अवधि के दौरान मण्डल के साथ पंजीकृत 25.16 लाख सन्निर्माण श्रमिकों के मुकाबले 15.35 लाख श्रमिकों (61 प्रतिशत) को ही सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त लाभान्वित 15.35 लाख श्रमिकों का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। उन श्रमिकों, जिन्हें वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था, के ब्यौरे के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा वास्तविक लाभार्थियों को किए गए भुगतानों की प्रामाणिकता की पुष्टि/सत्यापन नहीं किया जा सका।

राजस्थान सरकार ने उत्तर (नवंबर 2023) दिया कि लाभ, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तारण के माध्यम से प्रदान किए गए थे, लेकिन लाभान्वित पंजीकृत श्रमिकों का विवरण राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा श्रम विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

6.3 आवेदकों की शिकायतों का संतोषजनक रूप से निपटान नहीं किया जाना

सन्निर्माण श्रमिक अपनी शिकायतें राज्य सरकार के शिकायत निवारण पोर्टल (संपर्क पोर्टल) के माध्यम से दर्ज करवा सकते हैं। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच किये गये पांच जिलों में यह पाया गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान सन्निर्माण श्रमिकों से संपर्क पोर्टल पर 30,501 शिकायतें प्राप्त हुईं। इन सभी शिकायतों को संपर्क पोर्टल पर 'निपटान (समाधान)' के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 12,517 शिकायतों (41 प्रतिशत) को शिकायतकर्ता द्वारा 'संतुष्ट नहीं' चिह्नित किया गया था।

(i) लेखा परीक्षा द्वारा 'सतुष्ट नहीं' के रूप में चिन्हित 100 शिकायतों की नमूना जाँच की गई और निम्नलिखित कमियां पाई गईः

- सतहत्तर शिकायतें कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ का भुगतान न करने से संबंधित थीं। इनमें से नौ आवेदन (12 प्रतिशत) तीन से चार साल (अगस्त 2023 तक) से अधिक समय के बाद भी लाभ के भुगतान के लिए लंबित थे। छह आवेदनों (8 प्रतिशत) पर एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा, दो प्रकरणों में, आवेदकों ने शिकायत की कि भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था, हालांकि पोर्टल ने दिखाया कि लाभ वितरित किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि भुगतान वास्तविक आवेदक को हस्तांतरित किया गया था अथवा नहीं।

- पन्द्रह शिकायतें पंजीकरण कार्ड[14] या उसके नवीनीकरण से संबंधित थीं।

- आठ शिकायतें सन्निर्माण श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान से संबंधित थीं।

राजस्थान सरकार ने अवगत (नवंबर 2023) कराया कि शिकायतों की संख्या में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि 35 से 40 प्रतिशत आवेदनों को इस तथ्य के कारण खारिज कर दिया गया था कि गैर-बीओसीडब्ल्यू श्रमिकों को पंजीकृत किया गया और लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। श्रम निरीक्षक के रिक्त पदों के कारण आवेदन लंबित थे और इन आवेदनों को आयुवार लंबितता के आधार पर निष्पादित किया गया था।

उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि गैर-बीओसी श्रमिकों के पंजीकरण को रोकने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है।

[14] यह साबित करने के लिए कि क्या श्रमिक, भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत है।

6.4 बीओसी श्रमिकों के मध्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता

भारत सरकार ने, इस बात पर जोर दिया था (अक्टूबर 2018) कि सन्निर्माण श्रमिकों में कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता अखबारों या टीवी चैनलों में विज्ञापनों के बजाय मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा कुल 752 श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 447 श्रमिकों का सर्वेक्षण नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में 27 निर्माण स्थलों पर सन्निर्माण श्रमिकों के बीच जागरूकता की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए एवं वर्ष 2017-22 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले 305 लाभार्थियों का टेलीफोनिक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं:

- केवल 24 प्रतिशत सन्निर्माण श्रमिक मण्डल और उसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में जानते थे।
- 77 प्रतिशत ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में भाग नहीं लिया।
- 42 प्रतिशत श्रमिकों ने अवगत कराया कि कोई प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

राजस्थान सरकार ने उत्तर (नवंबर, 2023) दिया कि "प्रशासन गांवों के संग", "प्रशासन शहरों के संग" और "महंगाई राहत शिविर" के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में लगातार जागरूकता दी गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप, पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जा सकता है कि पंजीकृत श्रमिकों की संख्या की तुलना में लाभान्वित श्रमिकों का प्रतिशत अभी भी बहुत कम था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा कराए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि सन्निर्माण श्रमिकों के बीच कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिक ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल द्वारा निधि के उपयोग में कमी को उजागर किया है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान उपलब्ध धन का केवल 21.16 प्रतिशत से 51.06 प्रतिशत तक व्यय किया गया था। उपकर के रूप में प्राप्त ₹ 1,788.99 करोड़ की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 1,659.22 करोड़ कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त, आरबीओसीडब्ल्यू मण्डल ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं किए और वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन भी भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

वर्ष 2017 से 2022 के दौरान, प्राप्त 25.89 लाख आवेदनों में से 7.49 लाख आवेदन (29 प्रतिशत) स्वीकृत किए गए, 10.61 लाख आवेदन (41 प्रतिशत) अस्वीकृत किये गए और शेष 7.79 लाख आवेदन (30 प्रतिशत) निपटान के लिए लंबित थे। वास्तव में, 1.86 लाख आवेदन 30 महीने से अधिक समय से लंबित थे। लेखापरीक्षा द्वारा प्रसूति सहायता योजना और सिलिकोसिस प्रभावित निर्माण श्रमिको को सहायता जैसी योजनाओं के प्रकरणों में अपर्याप्त दस्तावेज सत्यापन के मामले पाए गए जो आवेदनों पर कार्रवाई करते समय विभाग द्वारा समुचित तत्परता की कमी को दर्शाती है।

अनुशंसा 7: बीओसी श्रमिकों को लाभों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग को आवेदन प्रक्रिया के तंत्र को सुव्यवस्थित करना चाहिए।

अनुशंसा 8: विभिन्न स्तरों पर दस्तावेजों के सत्यापन की मौजूदा प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ जारी करने से पूर्व निर्धारित पात्रता शर्त की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।

सतीश गर्ग

जयपुर
18 अगस्त 2025

(सतीश कुमार गर्ग)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

संजय

नई दिल्ली
26 अगस्त 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5)

चयनित जिलों में जाँच की गई इकाइयों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

चयन श्रेणी	धौलपुर	जयपुर	जोधपुर	करौली	कोटा	कुल
लाभार्थियों की संख्या	105	105	103	103	104	520
कार्य निष्पादन विभाग[1]	2	2	2	2	2	10
कार्य निष्पादन इकाईयों में चयनित कार्य	10	10	7	10	7	44
स्थानीय निकाय[2]	2	2	2	2	2	10
चयनित स्थानीय निकाय में भवन योजनाएं	11[$]	16[$]	20	20	20	87
पंजीकृत स्थापन	0*	4	4	0*	4	12
अपंजीकृत स्थापन	1[#]	4	2[#]	4	4	15
स्थान जहाँ घटनाएँ/ दुर्घटना हुई	0	2	1	0	2	5
निर्धारण अधिकारी	1[@]	2	1[@]	1[@]	1[@]	6
प्रत्येक निर्धारण अधिकारी के तहत निर्धारण आदेश	10	59	24	14	50	157[^]
दुर्घटनाओं का विवरण	0	2	1	0	2	5
निरीक्षण प्रतिवेदन	0	10	0	0	0	10

[$] धौलपुर जिले में चयनित 02 स्थानीय निकायों में 11 भवन योजनाएं अनुमोदित पाई गईं और जयपुर जिले में दो चयनित स्थानीय निकायों में से एक (नगर पालिका, चौमू) में केवल 6 भवन योजनाएं अनुमोदित पाई गईं।

* चयनित पंजीकृत स्थापनों में जाँच हेतु कार्य प्रगति पर नहीं पाया गया।

[#] कार्य की जाँच के लिए केवल 1 अपंजीकृत स्थापन (धौलपुर में) और 2 अपंजीकृत स्थापन (जोधपुर में) पाए गए।

[@] जयपुर को छोड़कर सभी जिलों में केवल 1 निर्धारण अधिकारी उपलब्ध था।

[^] धौलपुर जिले में एक प्रकरण में निर्माण की लागत ₹ 10 लाख से कम थी और 3 प्रकरणों (जोधपुर जिले में से 2 प्रकरण और जयपुर जिले में 1 प्रकरण) का निर्माण कार्य राजस्थान बीओसीडब्ल्यू नियम, 2009 बनने से पूर्व का था, जिससे बीओसीडब्ल्यू अधिनियम इन प्रकरणों में लागू नहीं था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा 153 निर्धारण प्रकरणों की जाँच की गई।

---

[1] **धौलपुरः** एक्सईएन डब्ल्यूआर खण्ड-II (डीएलपी 31658) और एक्सईएन पीडब्ल्यूडी, राजाखेड़ा (6916): **जयपुरः** परियोजना निदेशक, पीपीपी-1, पीडब्ल्यूडी, जयपुर (जेपीसी32406) और एक्सईएन पीएचईडी, प्रधान खण्ड-II (उत्तर) (जेपीसी32122); **जोधपुरः** परियोजना निदेशक, पीपीपी पीडब्ल्यूडी (जेडीसी33982) और एक्सईएन पीएचईडी, परियोजना खण्ड IV (जेडीसी32133); **करौलीः** एक्सईएन पीएचईडी, सपोटरा (पीडब्ल्यूडी-16809) और एक्सईएन पीएचईडी, परियोजना खण्ड, टोडाभीम (पीएचईडी-23532) **और कोटाः** ओरोहेक्ट निदेशक, पीपीपी, पीडब्ल्यूडी (केओटी33385) और एक्सईएन आरएमसी खण्ड-1, सीएडी (केओटी24675)।

[2] **धौलपुरः** नगर पालिका, राजाखेड़ा एवं नगर पालिका, बड़ी; **जयपुरः** नगर निगम ग्रेटर एवं नगर पालिका,चौमू; **जोधपुरः** नगर निगम दक्षिण एवं नगर पालिका, पीपाड़ सिटी; **करौलीः** नगर पालिका, हिंडोन सिटी एवं नगर पालिका, टोडाभीम और **कोटाः** नगर निगम उत्तर एवं नगर पालिका, रामगंजमंडी।

परिशिष्ट 4.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.1)

वर्ष 2019-22 के दौरान किए गए सर्वेक्षणों के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	राज्य		जयपुर			करौली			धौलपुर			कोटा			जोधपुर		
	लक्ष्य[3]	सर्वेक्षण	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश	लक्ष्य	सर्वेक्षण	जारी निर्धारण आदेश
2019-20	66,600	37,913	8,400	3,859	133	750	756	73	600	521	40	2,400	1,884	373	3,250	2,415	101
2020-21	54,000	13,080	10,200	319	94	600	150	5	600	115	4	925	1,181	103	4,200	127	19
2021-22	53,400	9,597	11,400	325	79	500	75	0	600	204	10	900	411	41	3,775	210	23
कुल (प्रतिशत में)	**1,74,000**	**60,590 (34.82%)**	**30,000**	**4,503 (15.01%)**	**306**	**1,850**	**981 (53.03%)**	**78**	**1,800**	**840 (46.67%)**	**4**	**4,225**	**3,476 (82.27%)**	**517**	**11,225**	**2,752 (24.52%)**	**143**

नमूना जाँच किए गए जिलों में सर्वेक्षण के कुल लक्ष्य - 49,100

नमूना जाँच किए गए जिलों में सर्वेक्षण किए गए कुल स्थापन - 12,552 (25.56 प्रतिशत)

नमूना जाँच किए गए जिलों में जारी कुल निर्धारण आदेश – 1,098 (8.74 प्रतिशत)

[3] सर्वेक्षण के लिए लक्ष्यों की गणना हेतु सूत्र = तैनात निरीक्षकों की संख्या*50*12

परिशिष्ट 6.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.1)

वर्ष 2017-22 के दौरान लाभार्थियों द्वारा दिए गए आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजनाएं	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल	
		प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत	प्राप्त आवेदन	अस्वीकृत
1	शिक्षा और कौशल विकास योजना	3,71,890	1,77,284 (48%)	5,91,245	3,85,850 (65%)	3,03,080	1,45,577 (48%)	3,71,289	99,699 (27%)	3,43,029	21,434 (6%)	19,80,533	8,29,844 (42%)
2	सुलभ्य आवास योजना	5,281	4,708 (89%)	5,399	3,415 (63%)	2,545	737 (29%)	756	237 (31%)	1,004	133 (13%)	14,985	9,230 (62%)
3	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	624	485 (78%)	562	491 (87%)	247	216 (87%)	183	150 (82%)	389	112 (29%)	2,005	1,454 (73%)
4	शुभ शक्ति योजना	1,29,491	49,891 (39%)	1,70,493	82,226 (48%)	57,147	13,165 (23%)	36,449	4,211 (12%)	9,651	728 (8%)	4,03,231	1,50,221 (37%)
5	प्रसूति सहायता योजना	24,150	10,574 (44%)	32,421	18,554 (57%)	17,790	9,014 (51%)	20,442	6,659 (33%)	18,529	2,125 (11%)	1,13,332	46,926 (41%)
6	सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना	9,221	3,291 (36%)	11,197	5,203 (46%)	7,718	3,097 (40%)	10,519	3,487 (33%)	10,458	1,350 (13%)	49,113	16,428 (33%)
7	सिलिकोसिस योजना	1,542	302 (20%)	3,630	1,356 (37%)	1,413	169 (12%)	765	114 (15%)	85	4 (5%)	7,435	1,945 (26%)
8	निर्माण श्रमिक टूल किट योजना	5,892	1,772 (30%)	2,507	969 (39%)	1,416	452 (32%)	3,712	1,169 (31%)	5,101	481 (9%)	18,628	4,843 (26%)
कुल		**5,48,091**	**2,48,307 (45%)**	**8,17,454**	**4,98,064 (61%)**	**3,91,356**	**1,72,427 (44%)**	**4,44,115**	**1,15,726 (26%)**	**3,88,246**	**26,367 (7%)**	**25,89,262**	**10,60,891 (41%)**

नोटः अस्वीकृत आवेदनों की संख्या प्राप्त कुल आवेदनों में से है।

परिशिष्ट 6.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.1 (i))

उन प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण जहां आवेदकों के आवेदनों को अपेक्षित दस्तावेजों, जो कि या तो पहले ही प्रस्तुत किए गए थे या बाद में प्रस्तुत किए गए थे, को प्रस्तुत न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया

क्र. सं.	पंजीकरण सं.	जिला	नाम	योजना	आवेदन की तिथि	अस्वीकृति की तिथि	अस्वीकृति का कारण	टिप्पणियां
1	बी14/2017/ 0095870	जयपुर	गजानन्द कुम्हार	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	22.07.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
2	बी14/2017/ 0001220	जयपुर	पवन शर्मा	शिक्षा और कौशल विकास योजना	31.03.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
3	बी14/2016/ 0230167	जयपुर	बंशीधर कुमावत	शिक्षा और कौशल विकास योजना	29.08.18	11.05.21	श्रमिक का बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण कार्ड	श्रमिक का बीओसीडब्ल्यू पंजीकरण कार्ड अपलोड पाया गया
4	बी14/2016/ 0220993	जयपुर	मंजू देवी	शिक्षा और कौशल विकास योजना	28.03.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
5	बी14/2017/ 0032697	जयपुर	गिरधारी लाल	शिक्षा और कौशल विकास योजना	19.02.20	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
6	बी14/2017/ 0129012	जयपुर	राम सहाय यादव	शिक्षा और कौशल विकास योजना	15.01.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
7	बी11/2018/ 0008345	धौलपुर	नानिकी	शिक्षा और कौशल विकास योजना	10.01.19	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
8	बी11/2018/ 0009640	धौलपुर	उर्मिला	शुभ शक्ति योजना	28.12.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
9	बी11/2017/ 0000513	धौलपुर	राजेंद्र सिंह	शुभ शक्ति योजना	11.09.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
10	बी19/2016/ 0210691	जोधपुर	अनिल कुमार	सामान्य या दुर्घटना मृत्यु/घायल सहायता योजना	04.10.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र और आवेदन पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
11	बी19/2018/ 0021337	जोधपुर	राम स्वरूप	शिक्षा और कौशल विकास योजना	28.08.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
12	बी19/2017/ 0005612	जोधपुर	मुन्ना राम	शिक्षा और कौशल विकास योजना	12.08.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
13	बी19/2017/ 0038197	जोधपुर	राम सिंह राठौर	शुभ शक्ति योजना	31.12.18	11.05.21	10वीं की अंकतालिका और कार्य प्रमाण-पत्र की प्रति	10वीं की अंकतालिका और कार्य प्रमाण-पत्र दोनों की प्रति अपलोड मिली
14	बी19/2017/ 0033727	जोधपुर	ओमगिरी	शुभ शक्ति योजना	31.12.17	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
15	बी19/2017/ 0039315	जोधपुर	खम्मा देवी	शुभ शक्ति योजना	16.12.18	11.05.21	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया
16	बी19/2017/ 0046416	जोधपुर	ओम प्रकाश	सुलभ्य आवास योजना	21.12.18	06.03.20	कार्य प्रमाण-पत्र	कार्य प्रमाण-पत्र अपलोड पाया गया

परिशिष्ट 6.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.1 (i))

पंजीकरण के समय और योजना में आवेदन करने के समय आवश्यक दस्तावेजों को दर्शाने वाला विवरण

पंजीकरण के समय	किसी भी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज (सामान्य)
1. आयु प्रमाण-पत्र 2. फोटो 3. कार्य प्रमाणपत्र 4. आधार कार्ड की प्रति 5. जन आधार/ भामाशाह कार्ड की प्रति 6. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति	1. कार्य प्रमाणपत्र 2. आधार कार्ड की प्रति 3. भामाशाह कार्ड की प्रति 4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति 5. पहचान पत्र की प्रति (पंजीकरण)
	विशिष्ट योजनाओं के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज
	1. अंकतालिका की प्रति (**शिक्षा और कौशल विकास योजना**) 2. प्रीमियम की कटौती का विवरण दिखाने वाली बैंक खाता पासबुक का पृष्ठ (**जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना**)। 3. 18 वर्ष की आयु का प्रमाण और कक्षा 8 की अंकतालिका (**शुभ शक्ति योजना**) 4. आयु 20 वर्ष से कम नहीं होने का प्रमाण-पत्र (**प्रसूति सहायता योजना**) 5. अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट (**प्रसूति सहायता योजना और सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना**) 6. न्यूमोकोनियोसिस मेडिकल बोर्ड का प्रमाण-पत्र (**सिलिकोसिस सहायता योजना**) 7. टूल किट की खरीद का बिल (**निर्माण श्रमिक टूल किट योजना**) 8. आकस्मिक मृत्यु के मामले में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या एफआईआर की प्रति (**सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना**) 9. मृत्यु प्रमाण-पत्र (**सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना और सिलिकोसिस सहायता योजना**) 10. वार्षिक आय प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति (**सुलभ आवास योजना**)

परिशिष्ट 6.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 6.2.2.2)

वर्ष 2017-22 के दौरान आवेदकों और विभागीय स्तर पर लंबित लाभार्थियों के आवेदनों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	योजनाओं का नाम	2017-18			2018-19			2019-20			2020-21			2021-22			कुल		
		ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी	ए	सीपी	डीपी
1.	शिक्षा और कौशल विकास योजना	3,71,890	304 (0.08%)	3,864 (1.04%)	5,91,245	1,416 (0.24%)	15,821 (2.68%)	3,03,080	6,139 (2.03%)	35,429 (11.69%)	3,71,289	6,584 (1.77%)	1,59,778 (43.03%)	3,43,029	12,655 (3.69%)	2,88,108 (83.99%)	19,80,533	27,098 (1.37%)	5,03,000 (25.40%)
2.	सुलभ्य आवास योजना	5,281	27 (0.51%)	227 (4.0%)	5,399	14 (0.26%)	1,025 (18.98%)	2,545	145 (5.70%)	1,650 (64.83%)	756	50 (6.61%)	467 (61.77%)	1,004	91 (9.06%)	780 (77.69%)	14,985	327 (2.18%)	4,149 (27.69%)
3.	जीवन और भविष्य सुरक्षा योजना	624	0	3 (0.48%)	562	0	3(0.53%)	247	0	3 (1.21%)	183	5 (2.73%)	13 (7.10%)	389	41 (10.54%)	227 (58.35%)	2,005	46 (2.29%)	249 (12.42%)
4.	शुभ शक्ति योजना	1,29,491	2,356 (1.82%)	39,704 (30.66%)	1,70,493	20,670(12 .12%)	61,277 (35.94%)	57,147	20,487 (35.85%)	22,712 (39.74%)	36,449	12,233 (33.56%)	19,418 (53.27%)	9,651	2,741 (28.40%)	6,014 (62.31%)	4,03,231	58,487 (14.50%)	1,49,125 (36.99%)
5.	प्रसूति सहायता योजना	24,150	37 (0.15%)	303 (1.25%)	32,421	158 (0.49%)	1,439 (4.44%)	17,790	95 (0.53%)	1,639 (9.21%)	20,442	27 (0.13%)	6,001 (29.35%)	18,529	1,609 (8.68%)	12,874 (69.48%)	1,13,332	1,926 (1.70%)	22,256 (19.64%)
6.	सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु/घायल सहायता योजना	9,221	1 (0.01%)	48 (0.52%)	11,197	15 (0.13%)	299 (2.67%)	7,718	7 (0.09%)	493 (6.39%)	10,519	19 (0.18%)	1,736 (16.50%)	10,458	1,513 (14.47%)	5,756 (55.04%)	49,113	1,555 (3.17%)	8,332 (16.96%)
7.	सिलिकोसिस योजना	1,542	0	0	3,630	0	0	1,413	0	0	765	0	0	85	0	0	7,435	0	0
8.	निर्माण श्रमिक टूल किट योजना	5,892	0	11 (0.19%)	2,507	0	13 (0.52%)	1,416	3 (0.21%)	10 (0.71%)	3,712	29 (0.78%)	130 (3.50%)	5,101	714 (14%)	2,118 (41.54%)	18,628	746 (4%)	2,282 (12.25%)
कुल		**5,48,091**	**2,725 (0.50%)**	**44,160 (8%)**	**8,17,454**	**22,273 (3%)**	**79,877 (10%)**	**3,91,356**	**26,876 (7%)**	**61,936 (16%)**	**4,44,115**	**18,947 (4%)**	**1,87,543 (42%)**	**3,88,246**	**19,364 (5%)**	**3,15,877 (81%)**	**25,89,262**	**90,185 (3.48%)**	**6,89,393 (26.62%)**

ए- आवेदित आवेदनों की संख्या, **सीपी**-आवेदक के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या, **डीपी**-विभागीय स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi